राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 11

मंगलवार

4 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड-3 का रामगढ़ में स्थानान्तरण

154. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) कार्यालय स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अलवर में रामगढ़ ही एक ऐसा उपखण्ड (एस.डी.ओ.) है जहां पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधाश (कनिष्ठ खण्ड) कार्यालय स्थापित/कार्यरत नहीं है? यदि हां तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला अलवर मुख्यालय पर कार्यरत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) नम्बर 3 द्वारा सिर्फ थाना रामगढ़ के मुकदमों की ही सुनवाई की जाती है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या सरकार उपरोक्त न्यायालय नं. 3 को रामगढ़ स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री) : (1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में नवीन अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु उस क्षेत्र के 1700 से 2000 प्रकरण लम्बित होने का मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है। मानदण्ड की प्रति प्रदर्श-क संलग्न है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) जी हां। यह सही है कि जिला अलवर में रामगढ़ ही एक ऐसा उपखण्ड है जहां पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित/कार्यरत नहीं है। रामगढ़ उपखण्ड के लम्बित प्रकरणों की संख्या न्यायालय स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड से कम है तथा रामगढ़ में उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जिला अलवर मुख्यालय पर कार्यरत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 3 सिर्फ थाना रामगढ़ के ही मुकदमों की सुनवाई करता है, अपितु यह न्यायालय थाना मालाखेड़ा के मुकदमों एवं अन्य न्यायालयों से अन्तरित होकर प्राप्त होने वाले मुकदमों की भी सुनवाई करता है।

(4) अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(क,ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 अलवर को रामगढ़ स्थानान्तरित करने का मामला इस समय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा रामगढ़ क्षेत्र के लम्बित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मानदण्ड के अनुसार होने पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विचार करना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो बात कही है कि मालाखेडा और रामगढ़, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी, यह दो न्यायालय है, सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड प्रथम वर्ग, नम्बर दो और नम्बर तीन। नम्बर दो में सिर्फ रामगढ़ थाने के ही मुकदमों की सुनवाई होती है जिसके माननीय जज भानुप्रकाश जी मीणा है और मालाखेडा की जिस न्यायालय में सुनवाई होती है उसके परविन्दरपालजी वहां के मजिस्ट्रेट हैं, तो यह कथन आपका ठीक नहीं है कि जिस न्यायालय में रामगढ के थानों के कैसेज की सुनवाई होती है उसी में मालाखेड़ा की भी होती है। यह सच्चाई नहीं है, आप अपने सूत्रों से पता कर लीजिए।

दूसरा आपने स्वंय ने माना कि रामगढ़ सब डिविजन ही मात्र अलवर में, जहां की मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत नहीं है। स्टेट टाइम में रामगढ़ मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत था, आजादी से पहले, उसके बाद में बिल्डिंग उसकी बनी हुई है। नीचे अदालत है ऊपर उसका रेजीडेंस है। फिर

(श्री जुबेर खान)

भी भवन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम एम एल ए लैड, एम पी लैड से कहीं से बनायेंगे। आज रामगढ़ के लोगों में, वहां एस डी एम है, वकील वहां, एस डी एम कार्यालय के लिए, वहां जाते हैं, मुंशी मजिस्ट्रेट के लिए अलवर जाते हैं उसके लिएभारी दिक्कत होती है। अगर आप चाहे तो रामगढ़ तहसील का दूसरा थाना एमआईए भी है अगर संख्या कम है तो एमआईए में लगा सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2005 में 324 मुकदमें रामगढ के, 2006 मे 330, 2007 में 385, संख्या बढ़ रही है। जब हर साल लगभग 350 मुकदमें दर्ज हो रहे हैं तो दो-चार-पांच साल में तो फैसला होता नहीं है, तो लम्बित प्रकरण भी काफी संख्या में होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि बाकी थानों के अलावा रामगढ़ में ज्यादा मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। उसका खास कारण यह है कि यह हरियाणा से सटा हुआ थाना लगता है। जिस तरह के क्राइम चाहे गोकसी के क्राइम हो चाहे वह गो तस्करी के हो, चोरी के मामले हो, जो हरियाणा की सीमा के माध्यम से जाते हैं इसके अधीन में 3-3 चौकियां बनी हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर को, आप लिखिये तो सही, प्रयास तो करिये, आपको तो खाली स्थानान्तरण करना है। इसको करवाइये ताकि वहां के वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, आंदोलन हो रहा है, वह समाप्त हो और आप यहां इस सदन में ऐसी कोई घोषणा करें कि रामगढ़ के लोगों को सस्ता , सुलभ और नजदीकी न्याय मिल सकें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मंशा तो बिलकुल साफ है कि रामगढ़ में सिविल न्यायालय स्थानान्तरण हो जाए इसके लिए हमने उच्च न्यायालय को लिखकर भेजा लेकिन उच्च न्यायालय में इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार का काम भवन, साधन उपलब्ध कराना है अब इसमें अतिरिक्त खर्चा भी नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट नियुक्त है, भवन वहां बना हुआ है, सारा काम है। एक बार पुनः मैं आपने जो बातें कही उन सब बातों को देखकर, मुकदमों की संख्या को देखकर, आपने जो परिस्थितियां बताई उनको देखकर राज्य सरकार की और से उच्च न्यायालय को वहां पर स्थानान्तरण करने के लिए लिखेंगे। हम केवल लिख ही सकते हैं यह सारा वहां की स्वीकृति के बाद ही हम न्यायालय को स्थानान्तरित कर सकते हैं। राज्य सरकार एक बार पुनः वहां लिख देगी ताकि वहां के क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान हो सके।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी जितना जल्दी सम्भव हो सके आप जल्दी ही माननीय उच्च न्यायालय को लिखियेगा ताकि इसमें जल्दी कोई कार्यवाही हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जल्दी हो नहीं सके, जो आपकी क्षमता है एक हफ्ते के अंदर लिखवाकर भिजवा दीजिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मालूम करना चाहूंगा कि मापदण्ड का अभी आपने जिक्र किया है, मैंने भी अपने तिजारा के लिए अप्रैल, 2006 में एक सवाल लगाया था अब डेढ साल से ज्यादा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: तिजारा का अलग से...

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): अब मापदण्ड का सिस्टम इतना डिलेट हुआ हुआ है तो यह मापदण्ड किस तरह से होगा, परामर्श किस तरह से होगा, हाईकोर्ट से। एक इसके साथ साथ मंत्रीजी जवाब दें मैं इनका आभारी होऊंगा कि तिजारा अलवर में एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट को चालान आदि लेने का अधिकार दिया गया है चालान आदि अधिकार नहीं है तो चालान आदि के, किशनगढ बांस में पेश किये जाते हैं तो यह क्यों इतना इसमें डिस्क्रिपेंसी है, अगर आप जवाब दे मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे लिखकर दिया था तिजारा कोर्ट और उसके बारे में, मैं आपको निवेदन कर दूं कि माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के विचार-विमर्श के बाद जो निर्देश प्राप्त हुये उसके अन्तर्गत डीजे, एडीजे न्यायालय हेतु 1000 से 1200 प्रकरण लम्बित होने आवश्यक हैं, सीजेएम और एसीजेएम न्यायालय हेतु 1200 से 1500 प्रकरण लम्बित हो तब ऐसा होता है। सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क, ख एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु 1700 से 2000 लम्बित प्रकरण होते हैं तो राज्य सरकार भी प्रपोजल बनाकर भेजती है और न्यायालय की ओर सभी सूओमोटो भी हमारे पास आता है। राज्य सरकार का काम उसके लिए भवन, उसके लिए पद आदि की व्यवस्था करने का होता है। आपने जो सारा मामला

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बताया उसके हिसाब से हमने बनाकर भेजा था। एक बार पुनः हम, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जो भी प्रकरण जिस प्रकार से न्यायालय कहता है उस प्रकार से करते हैं तो जितने भी प्रकरण हमारे पास आये हुए हैं उन सबकी समीक्षा कराकर माननीय उच्च न्यायालय के पास भेजते रहते हैं। आपका प्रकरण भी आपने मुझे दिया था उस समय प्रेषित किया था। दुबारा इसकी सारी बात करके इसको भिजवा दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होगा उस हिसाब से राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

प्रश्न संख्या-155

श्री उपाध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नवनीत नीनामा।

अम्बेडकर छात्रावासों में स्थाई अधीक्षकों का पदस्थापन

156. **श्री नवनीत नीनामा** (घाटोल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने अम्बेडकर छात्रावास हैं? जिला व पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में उक्त छात्रावास चलाये जाते हैं? यदि हां, तो छात्रावासों में छात्रावास वार छात्र संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चलाये जा रहे छात्रावासों में निगरानी हेतु वार्डन (छात्रावास अधीक्षक) प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें स्थाई रूप से नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): (1) राज्य में विभाग द्वारा 602 राजकीय एवं 91 अनुदानित कुल 693 छात्रावास हैं। जिला व पंचायत समिति वार सूची परिशिष्ट (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा जिला डूंगरपुर एवं बांसवाडा में उक्त छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनकी छात्रावास वार छात्र संख्या का विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(श्री मदन दिलावर)

(3) वर्तमान में छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण छात्रावास के संचालन हेतु अधीक्षक के रूप में अन्य सेवाओं के कर्मचारियों एवं सेवा निवृत राज्य कर्मचारियों को लगाने की व्यवस्था है। अन्य सेवाओं/विभागों के कार्मिकों को एवं सेवानिवृत कार्मिकों को स्थायी किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हें स्थायी किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से उत्तर चाहता हूं कि क्या यह छात्रावास स्थाई है या अस्थाई है, नम्बर-एक। नम्बर-दो, अन्य विभागों से छात्रावास वार्डन लेकर के काम चलाने की जो योजना है, कब तक चलती रहेगी। नम्बर-तीन, क्या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार हरिजन, आदिवासी व गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिये यह छात्रावास खोले गये थे। यदि हां, तो इस ओर अभी सरकार व माननीय मंत्रीजी क्या करने जा रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, आपने महात्मा गांधी के लिये कहा। इनका तो गांधीजी में विश्वास ही नहीं है। आपने माननीय सदस्य, गलत सवाल उद्धृत किया मंत्री महोदय से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विश्वास आपसे ज्यादा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कई ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं कि शर्म आती है। इनको देखने में ही शर्म आती है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मुंह ढक लो।

श्री उपाध्यक्ष: विश्वास आपसे ज्यादा है इनका। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...आप तो समर्थक हैं ना। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। यह अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आने दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप, क्यों बातें कर रहे हैं इनसे। (व्यवधान) आप उधर क्यों देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावास स्थाई हैं। मैंने पहले ही कहा है कि 602 छात्रावास हमारे यहां हैं और...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मंत्री महोदय का जवाब सुनिये आप।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावास स्थाई हैं और सब छात्रावासों में स्थाई छात्रावास अधीक्षक होने चाहिए। अभी हमारे पास 602 के विरुद्ध 287 नियमित छात्रावास अधीक्षक हैं और शेष छात्रावास अधीक्षकों के लिये, यानि 315 छात्रावास अधीक्षकों के लिये हमने आर.पी.एस.सी. को भर्ती करने के लिये भेज दिया है। (व्यवधान) छात्रावास अधीक्षकों हेतु अप्रैल माह में परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा के बाद जो चयनित होकर के छात्रावास अधीक्षक आएंगे तो लगभग सारे छात्रावासों में हमारे नियमित छात्रावास अधीक्षक हो जाएंगे। इसलिये माननीय नवनीत नीनामा का जो प्रश्न था, जो वेदना थी, वह दूर हो जाएगी। उससे सभी बच्चों की ठीक प्रकार से सार-सम्भाल हो पाएगी।

जहां तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहा, यह सच है कि महात्मा गांधी तो गरीबों का उद्धार करना चाहते थे और इसलिये उन्होंने सब कुछ किया है। मेरे विश्वास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं महात्मा गांधीजी में पूरा विश्वास रखता हूं और महात्मा गांधीजी ने यह कहा था कि यदि मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा...(व्यवधान) मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा..।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। बीच में, माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप जेल भिजवा देना। (व्यवधान) महात्मा गांधीजी में पूरा विश्वास रखता हूं। (व्यवधान) महात्मा गांधीजी ने तो कहा था कि मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा तो सबसे पहले गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाऊंगा। लेकिन उनकी सरकार आ गई, गांधीजी के बंदों ने गांधीजी की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा, सबसे पहले धर्मान्तरण पर कानून बनाऊंगा। गांधीजी के बंदों ने धर्मान्तरण के कानून का विरोध किया और महामहिम राज्यपाल के दस्तख्त नहीं होने दिये। धर्मान्तरण विरोधी,

(श्री मदन दिलावर)

यानि धर्म-स्वातंत्र्य कानून था, वह पेंडिंग पड़ा हुआ है। (व्यवधान) गांधीजी ने कहा देश आजाद हो गया, अब कांग्रेस को समाप्त कर दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): गांधीजी ने कहा था शराब-बंदी होनी चाहिए। गांधीजी के बंदों ने उनकी बात नहीं मानी। मैं तो पूरा आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। (व्यवधान) महात्मा गांधीजी हमारे लिये पूजनीय हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन का समय जाया कर रहे हैं। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, यह माहिरजी आजाद ने पहले इनको उत्तेजित किया कि ये महात्मा गांधी में विश्वास नहीं रखते हैं। बाकी उसके बाद में इन्होंने कह दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने चलाकर यह कहा, यह विश्वास नहीं रखते हैं। यह गलती, शुरूआत इन्होंने कर दी ना बिना मतलब के। अब छोड़िये इसको अब। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, है विश्वास। उन्होंने कहा, उनका विश्वास है। खतम हो गई बात। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नवरतन राजोरिया। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी ने जो आइन्दा से, अप्रैल माह तक व्यवस्था की जो घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यह छात्रावास अधीक्षक स्थाई लगेंगे या डेपुटेशन पर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): स्थाई नियुक्ति होगी। इनकी स्थाई नियुक्ति होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थाई नियुक्ति होगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वैरी गुड।

प्रश्न संख्या-157

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर। (अनुपस्थित : कृपया, आगे देखें) प्रश्न संख्या-158 श्री नवरतन राजोरिया। (अनुपस्थित : कृपया, आगे देखें) श्री निर्भय लाल।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को भूखण्ड आबंटन के नियमों में संशोधन

159. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों में वर्ष 2002 से पूर्व अनुसूचित जाति एवं

(श्री निर्भय लाल)

जनजातियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आबंटन के क्या प्रावधान थे तथा वर्तमान में क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों की नीति में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आबंटन के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आबंटन का प्रावधान पुनः लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उद्योग मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह): (1) रीको द्वारा स्थापित/विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन पर देय छूट के प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष 2004 में किये गये संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर भूमि आबंटन दर में 50 प्रतिशत छूट देय थी। आबंटी द्वारा आबंटन के समय भूखण्ड की पूरी राशि जमा कराना वांछित था तथा छूट की राशि भूखण्ड पर उद्यमी द्वारा 20 प्रतिशत (छत सहित) निर्माण कार्य करने के उपरान्त लौटा दी जाती थी। वर्ष 2007 में किये गये संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उक्त छूट भूमि आबंटन के समय ही दी जाएगी।

(2) वर्ष 2004 से पूर्व आबंटन दर में देय छूट भूमि आबंटन के समय ही आबंटी को दे दी जाती थी। वर्ष 2004 में यह प्रावधान किया गया था कि उक्त छूट आबंटी द्वारा भूखण्ड पर 20 प्रतिशत (छत सहित) निर्माण करने के उपरान्त ही दी जाएगी। पूर्व प्रावधानों में उक्तानुसार संशोधन इस दृष्टि से किया गया था कि अनुसूचित जाति व जनजाति के वास्तविक उद्यमी ही वर्णित छूट से लाभान्वित हो।

मई, 2007 में उक्त प्रावधान में परिवर्तन कर आबंटन दर में छूट आबंटन के समय ही दिये जाने का प्रावधान किया गया ताकि प्रस्तावित उद्योग हेतु पूंजी की व्यवस्था में कठिनाई नहीं हो। आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(3) रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रियायती दरों पर भूखण्ड आबंटन का प्रावधान वर्तमान में प्रभावशील है, जिसके अनुसार इन श्रेणी के उद्यमियों को संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित विकास शुल्क की दर पर 50 प्रतिशत छूट भूमि आबंटन के समय पर ही दी जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री निर्भय लाल (रूप वास): माननीय मंत्रीजी, मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं कि 2000 में पूछा था, मैंने 2000 से 2004 तक क्या प्रावधान थे? फिर आपने 2004 में ही इसमें संशोधन कर दिया। फिर आपने 2007 में फिर संशोधन कर दिया तो क्या कारण थे ऐसे? तीन साल में कितना नुकसान हुआ है इन एस.सी., एस.टी. के लोगों का? यह ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब दें।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 2004 और 7 में ही परिवर्तन नहीं हुए हैं। सन 1980, अगस्त में, सुन लेना माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): हां, सुन रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अगस्त, 1980 में यह प्रावधान किया गया कि संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित विकास शुल्क की दर में भूमि आबंटन के समय ही 50 परसेंट की रियायत देय होगी। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1.1 पर संलग्न है। इसके 1 साल बाद ही, मार्च, 1981 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मार्च, 1981 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह रियायत अधिकतम चार हजार वर्ग मीटर के भूखण्ड पर ही देय होगी। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1.2 पर उपलब्ध है। उसके बाद फिर अगस्त 1982 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह रियायत अधिकतम 2 हजार वर्ग मीटर के भूखण्ड पर ही देय होगी। संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1.3, 1.4 पर उपलब्ध है। फिर अगस्त, 1983 में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि 4 में किया, 7 में किया, यह सन 1980 से आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। हमने तो 50 परसेंट की छूट दी है, आप मेरी बात सुनिये ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): नहीं, यह खिलवाड़ ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, यह खिलवाड़ तो हमने आज देखी है, हमको उस टाइम, हम कोई एम.एल.ए. नहीं थे, कोई एम.पी. नहीं थे। हम तो आज वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपको चाहिए ...(व्यवधान) आप सुनें। उस समय आप ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): जो आपने क्या किया इन लोगों के साथ में, आप ...(व्यवधान) आप लोगों ने तीन साल में इतना नुकसान किया है एस.सी., एस.टी. के साथ में जैसा कोई ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस समय ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): जैसा कोई किसी ने किया नहीं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय आपको कोई ज्ञान नहीं था और उस समय मुख्य मंत्री भी ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): ज्ञान नहीं था तो ...(व्यवधान) और जब हमको ज्ञान हुआ तब पता लगा कि आप एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उस समय मुख्य मंत्री भी एस.सी. के थे महाराज ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप एम.एल.ए. कब बने थे? पहली बात यह बतायें कि ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उस समय मुख्य मंत्री भी एस.सी. के थे। उस टाइम यह परिवर्तन हुआ है। हमने तो 50 परसेंट की रियायत दी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जब आपकी सरकार कर रही थी गड़बड़, तब ध्यान नहीं आया आपको। जब आपकी सरकार कर रही थी, उस टाइम ध्यान नहीं आया ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): 2007 में, 2002 से 2004 में आपने यह संशोधन किया। 2004 से 2007 में फिर संशोधन किया। आप सारे ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 1980, 81, 83 में राजस्थान में किसकी सरकार थी?

श्री निर्भय लाल (रूपवास): शिड्यूल्ड कॉस्ट को राजस्थान में कितना नुकसान हुआ है? आप लोगों ने ...(व्यवधान) आप लोग उसके जिम्मेदार थे। ...(व्यवधान) यह समाज का भला नहीं चाहते।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 1980, 81, 83 में कौन थे? सबसे पहले उन्होंने बदमाशी करी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति जब से सरकार ने लागू की है। इस सरकार ने जब से नीति लागू की है तब से अब तक ऐसे कितने भूखण्ड आबंटित किये गये? उसमें से एस.सी., एस.टी. को कितने भूखण्ड अलाट हुए? क्या ऐसा रिकार्ड मंत्रीजी के पास है और कितनों को कब्जा मिल चुका और कब्जा नहीं मिला तो उसका कारण क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय तो यह रिकार्ड मेरे पास उपलब्ध नहीं होगा पर मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को यह पूरी सूचना उपलब्ध करा दूंगा कि एस.सी., एस.टी. के लिए कितने आबंटित हुए और कितनों पर यह निर्माण कार्य हुआ और काम शुरू हुआ, यह पूरी सूचना आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय मंत्रीजी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हां, पूछो।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): आज ऐसे कितने उद्योग हैं जो एस.सी., एस.टी. के लोगों के, वह चालू हैं और कितने डम्प पड़े हुए हैं, यही पूछना चाहते हैं हम आपसे ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): वही बात हुई।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैंने अभी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): उसका अर्थ यही है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अब कितने चालू हैं, यह बतायें आप। यह भी तो आपके पास होना चाहिए। तैयारी नहीं है आपकी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तैयारी की नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): नहीं, हमारे पास है। तैयारी सब है। नहीं, हमारे पास सब है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): नहीं सुनिये आप, आप महत्वपूर्ण नहीं ले रहे हैं इस मुद्दे को क्योंकि यह एस.सी., एस.टी. का मामला है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हमारे पास सब है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बताइये आप।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इस साल 6 एस.सी. के हमारी इकाइयां, मैं आपको एक निवेदन करूं, जो आबंटित हुई हैं, 6 है अभी ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस साल में ही, इस साल में ही ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इस साल में, इस साल का ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, मंत्रीजी होम वर्क करके तो आये नहीं हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न नहीं था। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जब एस.सी., एस.टी. से रिलेटेड प्रश्न था, जब एस.सी., एस.टी. से रिलेटेड प्रश्न है यह, इनके पास जानकारी होना लाजिमी है कि कितने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न में ...(व्यवधान) यह प्रश्न में ऐसा आया हुआ नहीं था। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इनके पास यह जानकारी होना लाजमी है कि कितने भूखण्ड आबंटित किये गये। कितनों के ऊपर उद्योग चल रहे हैं एस.सी., एस.टी. के, इनके पास कोई, होम वर्क करके आये नहीं हैं यह यहां पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न में पूछा नहीं गया है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से भूखण्ड आबंटित हुए हैं, उस समय से आज तक एस.सी., एस.टी. को कितने उपलब्ध हुए और कितने इनको आबंटित हुए इसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न में है नहीं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): क्योंकि यह प्रश्न में था नहीं परन्तु मैं आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य की शंका थी कि 2004 में यह संशोधन क्यों किया गया और उसके बाद 2007 में फिर संशोधन कर दिया, बीच के इसमें, हमारे एस.सी., एस.टी. के लोगों को नुकसान हुआ तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इसमें निश्चित रूप से एक बार नहीं कई बार परिवर्तन हुए हैं और एक-एक साल का मैंने आपको ब्योरा दिया है और जो मेरे पास जो अभी आकड़े उपलब्ध हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2002-03 में टार्गेट था 50 का एस.सी., एस.टी. का एण्टरप्रिन्योर्स का और हमारे एचीवमैंट था 154, 2003-04 में 50 टार्गेट था, एचीवमैंट था 180, 2004-05 में 60 था टार्गेट, एचीवमैंट था 39, 2005-06 में 41 था, 32, 2006-07 में 41 था-28, 2007-08 में 10 में से 6 को अलाटमैंट हो चुका है। यह आकड़े अब तक के आकड़े हैं। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय मंत्रीजी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने चालू हैं, कितने उद्योग चालू हैं, यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): अलग प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह अलग है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): आप कोई मंत्री नहीं हैं। आप तो +++ हो इनके। ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की अवमानना है और यह जो शब्द प्रयोग किया गया है इसको डिलीट किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: हां, यह अंकित नहीं होगा, यह । ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक्सपंज किया जाए इसको । ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या तरीका है यह?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आधे से ज्यादा तो अलग-थलग बैठे हैं यह। आधे से ज्यादा +++हैं। (व्यवधान) यह क्या तरीका है? आधे से ज्यादा +++ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई ओकेजन नहीं था कहने का। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): +++हैं विदेशियों के। (व्यवधान) विदेशियों के +++हो आप। हम केवल भारतीयों के तो हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++का भण्डार है यहां तो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++आप विदेशियों के हो, अपनी मां से पूछो न, अम्मा से। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप गहलोत के, किसके +++हो आप? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पूछो कि सोनिया के +++हो या किनके +++हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आगे कुछ नहीं। मर्जी आये जो कह रहे हैं, कुछ अंकित नहीं हो।

श्री रामप्रताप कासनिया: उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ज्यादा गर्मी है, ए.सी. इतना लो मत चलाओ, थोड़ी कृपा करके ठीक करवा दो। कई बीमार हो रहे हैं। माननीय सदस्यों को बुखार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मुझे खेद है कि पूर्व उद्योग मंत्रीजी ने पूछा है। सबसे कम आपके काल खण्ड में हुआ है अलाटमेंट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि आपने 2000-03 के अंदर एक नीति चली आ रही थी कि आप 50 प्रतिशत पैसा शुरू में ही आप छूट का दे देंगे, फिर आपने 2003-04 में संशोधन किया, फिर 2007 के अंदर आप फिर उसी लाइन पर आये। हमने 1980-83 के बीच में किया। मैं स्वयं राज्य मंत्री, उद्योग था उस वक्त। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि एक नीति चली आ रही थी उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। पूर्व में हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। अगर आप यह प्ली लेते हैं कि पूर्व में हुआ वह गलत था तो फिर आपने क्यों गलती की? सवाल तो यह पैदा होता है कि आपने क्यों गलती की? आप उद्योग मंत्री थे और आपकी जिम्मेदारी थी।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहले अलाटमेंट पर 50 प्रतिशत की रिबेट नहीं मिलती थी आपके समय में, हमने अलाटमेंट के समय में देना शुरू किया है। ...(व्यवधान) आप असत्य बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप पढ़ो न। आप जवाब पढ़ो। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पढ़ लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके समय का तो आपको पता है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कई उद्यमी छूट लेने तक का काम करते थे और छूट लेने के बाद अपना न कंस्ट्रक्शन शुरू करते थे, न उद्योग को शुरू करते थे। इस पर पाबन्दी लगाने के लिए यह एक चेंज किया था। कोई कदम उठाना भी जरूरी था कि उद्योग के नाम से कोई प्लाट अलाट कराये और अपना. (व्यवधान) माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, 2007 में यह परिवर्तन किया और पहले तो इनको रिफण्ड का सिस्टम था, हमने तो इनको शुरू में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान 2007 में किया और यह जो परिवर्तन की बात आप कर रहे हो, यह 2004-07 में नहीं हुआ। मैंने आपको इतनी बार बताया है और सन् 2000 में भी आपने परिवर्तन किया है। दिसम्बर, 2000 में संशोधन किया है, यह प्रावधान किया गया कि उक्त छूट दो हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर देय होगी। पहले चार हजार, कभी दो हजार, कभी चार हजार और फिर कभी दो हजार, यह सन् 1980 से लेकर 2000 तक एक, दो, तीन, चार, पांच, छह प्रावधान आपने बदले हैं। इसकी जिम्मेदारी तो तत्कालीन सरकार की है, इसका जवाब तो तत्कालीन सरकार ही दे सकती है। बाकी हमने तो एस.सी., एस.टी. के हित में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। माननीय डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): 50 प्रतिशत की छूट आज भी कर रखी है और वह प्रभावी है आज की तारीख में।

श्री उपाध्यक्ष: डा. बुलाकी दास जी कल्ला। (व्यवधान) निर्भय लाल जी आ गया।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक बात और पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी एक बात और बतायें मुझे इसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है क्या? एस.सी., एस.टी. के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है क्या? अगर है तो कितना प्रतिशत है, यह भी बतायेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इसका ईयरली टार्गेट है। उस टार्गेट के हिसाब से एस.सी.,एस.टी. को हम अलाटमेंट करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है? क्या इनके लिए कोई प्रावधान रखना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सवाल यह पैदा होता है कि आपके टोटल अलाटमेंट कितने हुए? आपने टोटल अलाटमेंट कितने किये, उसमें से आपने कितने प्रतिशत एस.सी., एस.टी. के लिए रिजर्व किया, यह बतायें फिर आप।

श्री उपाध्यक्ष: यह स्पेसिफिक प्रश्न है। वह समझ गये सब। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा पर्टिनेट सवाल है। टोटल अलाटमेंट आपने किये और जो टोटल अलाटमेंट आपने किये उस टोटल अलाटमेंट में कितना प्रतिशत उनको दिया? आपने जो टार्गेट फिक्स किये, इसका आधार क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न स्पेसिफिक रूप में आना चाहिये। डा. बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कम से कम हमको यह ज्ञान तो हो कि आपने मान लीजिए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): टार्गेट क्या होते हैं, उद्योग हरेक के लगाने के बस की है क्या? पहाड़ियाजी ने सबको ट्रक दिलवा दिये, आज तक सब रो रहे हैं। (व्यवधान) कांग्रेस ने बरबाद कर दिया एस.सी., एस.टी. को. (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): आप प्रावधान रखना चाहते हैं क्या? यह और बतायें। आपकी सरकार की मंशा है क्या एस.सी., एस.टी. के लोगों को रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखती है क्या भूखण्डों में?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान के इतिहास में इस तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान किसी सरकार के समय में नहीं रहा। हमारे भी ईयरली टार्गेट्स हैं एस.सी; एस.टी. के लिए और इन टार्गेट्स को हम निश्चित रूप से फुलफील करने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डा. बुलाकीदास कल्ला।

बीकानेर शहर में चोरी की घटनाओं पर रोक हेतु पुलिस बल में वृद्धि

160. **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में बीकानेर शहर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वर्ष 2006 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक बीकानेर शहर के विभिन्न थानों में चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किए गए? चुराये गये माल की कीमत क्या थी तथा कितनी चोरियां पकड़ी गई? भविष्य में उक्त घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या में कमी है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने पुलिसकर्मी बीकानेर शहर में कार्यरत हैं तथा कितने पुलिसकर्मियों की और आवश्यकता है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): (1) जी नहीं। जिला बीकानेर शहर के विभिन्न थानों में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 (31.1.2008) में चोरी/नकबजनी के क्रमश: 280 एवं 184 अभियोग दर्ज हुए हैं। उक्त वर्षों में चोरी गये माल की कीमत क्रमश एक करोड़ 4 हजार 51 रुपये एवं 75,35,773 रुपये है। उक्त में से वर्ष 2006-07 में 92 अभियोगों में 67,33,250 रुपये एवं 31 अभियोगों में 2007-08 में 35,92,000/- रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई है।

भविष्य में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं:-

1. शहर में निरन्तर रात्रि गश्त कराई जा रही है।

2. शहर में रात्रि नाकाबंदी कराई जा रही है।

3. शहर के हार्डकोर व शातिर आदतन नकबजनों को पकड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

4. शहर के पूर्व में चोरी के प्रकरणों के अभियुक्तों से पूछताछ एवं उनकी नियमित चैकिंग की जा रही है।

5. इलाके का बीटवाइज बीट प्रभारियों द्वारा निगरानी कराई जा रही है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) जी हां। वर्तमान में स्वीकृति पुलिसकर्मियों की नफरी 348 है, किन्तु 262 पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं तथा 86 पुलिसकर्मियों की कमी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बताया एक करोड़ चालीस हजार की जगह एक करोड़ चार लाख है, एक तो यह सही करें। दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि बीकानेर में गत दो वर्षों में लगभग एक करोड़ 79 लाख से ऊपर की चोरियां हुईं। इसमें कितना माल आपने लोगों को सुपुर्द कर दिया? दूसरी बात यह है कि पुलिस को ऐसी शिकायत मिली जिसमें कई थानों के पुलिसकर्मियों के इन्वाल्वमेंट की कोई शिकायत आई और आई तो आपने क्या किया? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को वहां से बदलने का विचार रखते हैं? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि बीकानेर शहर में जो पुलिसकर्मियों की आपने कमी बताई है, उसमें जनसंख्या कौनसे साल की ली गई है? आप 86 पुलिसकर्मियों की कमी बता रहे हैं, उनको कब तक भर लेंगे?...(व्यवधान) प्रश्न ही कर रहा हूं मैं। आप गाइड मत करो आसन को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिक्त पदों का सवाल है, यद्यपि जो हमारे 7 थाने हैं उसमें महिला पुलिस थाना भी है और 21 चौकियां हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ हमने दे रखी है और उसमें आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या मैंने आपको बताई है। इसके अतिरिक्त भी हमने बीकानेर शहर के लिए यह जो मोबाइल यूनिट है, वह हमने लगाई है। उस मोबाइल यूनिट में एस.आई. हमने 8 लगा रखे हैं, जो उस स्ट्रेंथ से अलग है। थानों का जैसा आपने मांगा था, वैसा ही मैंने आपको जवाब दिया। इसी तरह ए.एस.आई. भी 8 लगे हुए हैं और 67 कांस्टेबल, यह एक्स्ट्रा है इनके अतिरिक्त। इनमें से कुछ संख्या ऐसी है जो थाने में भी उस गश्त में जाते हैं तो 54 लोग यह अतिरिक्त हैं। जो मैंने आपको 86 की कमी बताई थी, उसमें से 54 लोग हमने एक्सट्रा लगाकर यह जो रात की गश्त और बाकी 24 घण्टे की, वह हमने 10 मोटर साइकिलों पर तीन राउंड चौबीसों घण्टे और दो व्हिकल लग रखे हैं, जो बराबर इस काम को देख रहे हैं तो यह तो संख्या के हिसाब से कमी है। जहां तक अभी ऐसा कहीं मापदण्ड नहीं है कि इतने लाख पर इतनी पुलिस होगी, जो हमने स्ट्रेंथ दे रखी है वह मैंने आपको बताया है। उसमें कमी और ज्यादा, राजस्थान में ऐसे कोई मापदण्ड तय नहीं किये हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि इतनी आबादी पर इतनी पुलिस होगी। अब तक कोई ऐसा मापदण्ड नहीं बना। वह ठीक है कि होना चाहिए, वह एक अलग बात है लेकिन अभी तक ऐसे कोई मापदण्ड निश्चित नहीं हैं।

जहां तक रहा सवाल, मैं सोचता हूं कि आपको इसके बारे में खुशी होनी चाहिए कि यह जो वर्ष 2007-08 है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था क्योंकि कुछ घटनाएं आपके यहां लगातार हुई थीं और एक ऐसी जन भावना बनी थी कि लगातार चोरियां हो रही हैं और बरामदगी नहीं हो रही है तो एक असंतोष का जो वातावरण बना था उसके आधार पर पूछा लेकिन हकीकत को अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो मैं सोचता हूं 2007 का वर्ष ऐसा है जिसमें सब से कम चोरियां दर्ज हुई हैं, 320 सारे जिले में, उसमें आपका शहर भी सम्मिलित है। वैसे तो मैंने आपको शहर का अलग से आंकड़ा दिया है, शहर के लिए जो चोरियां हुई हैं उसके हिसाब से चोरियां 185 थी 2006 और 07 में और नकबजनी 295, 280 जो मैंने आपको आंकड़ा बताया उसका है। उसकी भी बरामदगी किस साल में कितनी हुई, वो भी मैंने आपको सामने दी है। इसी तरह से 2007 और 08 में 122 चोरियां दर्ज हुई और नकबजनी 62 हुई जो 2006 से तुलना में कम ही नहीं हैं अगर आप पुराने आंकड़ों को टटोलोगे तो 2007 का वर्ष ऐसा है जिसमें 320 चोरियां दर्ज हुई पूरे जिले में भी जो पिछले दस वर्ष में सब से कम चोरियां अगर किसी वर्ष में दर्ज हुई हैं तो वो 2007 में हुई हैं। इसी तरह से नकबजनी भी पिछले दस वर्षों में दो साल ऐसे हैं बीच के, एक तो 2002 में 122 हुई और 2007 में 124 हुई बाकी वो भी सब से कम है। इसी तरह से बरामदगी का परसेंटेज बाकी सारे के सारे हैं।

आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यह जो जन भावना बनी और जिसके कारण से बीकानेर शहर पिछले कुछ साल में चोरियों की लगातार चपेट में एक के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे जन मानस बना लेकिन अभी आपने देखा होगा कि दो फरवरी के दिन हमने एक वाहन चोर, राजु सोनी को गिरफ्तार किया है, 58 वाहन की रिकवरी एक साथ ही, उसमें 51 वाहन हमने प्राप्त कर लिये, 58 चोरियां उसने कीं वो सारी कबूल की। यह है। इसी तरह से 8 फरवरी के दिन ही हमने तीन हार्ड कोर क्रीमिनल को, जो मैंने कहा था, जो हमने अभियान चलाया था उसमें पकड़ा, उसमें दो दर्जन नकबजनी उससे खुली है और इसी तरह से एक और नकबजन को पकड़ा है उससे और कई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिलों की भी तीन दर्जन चोरियां उससे बरामद हुई हैं। अभी यह जो 17.02 है इसमें जोधपुर का एक वाहन चोर अर्जुन पटेल इंडीगो लेकर चोरी कर के जा रहा था, उसको जो हमारे नाके लगे हुए थे, उसको पकड़ा। इस गिरोह से एक दर्जन फोर व्हीलर हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।

आप चाहें तो मैं वर्ष वार, 2006 से लेकर 2008 में जो संगीन चोरियां पकड़ी गयीं और बरामदगी की है उसको संतोषप्रद कहा जा सकता है। यह कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं पर मैंने दस साल के आंकड़े निकाल कर सारा का सारा टैबल बनाया है, इसमें भी आप यह देखेंगे कि नकबजनी में हमारा चालानी, बरामद की परसेंटेज है वो लगातार बढ़ा है 55 है, उसके बाद 66 परसेंट है इस 2007 में रिकवरी परसेंटेज। तो रिकवरी परसेंटेज बढ़ा है, इसको भी हमने ध्यान में रखा है, चालानी परसेंटेज हमारा बढ़े, यह 2007 का चालानी परसेंटेज 45 है नकबजनी में जो अब तक का केवल एक 2002 का 49 परसेंट था बाकी दस साल में जो हमारा नकबजनी का चालानी परसेंटेज है वह भी 45, हाइएस्ट है।

तो इस बात की कोशिश की है, यह बात जरूर है कि क्योंकि जिस की चोरी होती है उसको दर्द होता है और उसमें वह चाहता है कि उसकी रिकवरी हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गृह मंत्रीजी, यह चोरी और नकबजनी में क्या फर्क है, जरा यह तो प्रकाश थोड़ा डाल दो क्योंकि हमने तो वकालत की नहीं। चोरी और नकबजनी में क्या फर्क है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप भी जानते हो, साधारणतः मोबाइल भी अगर खो जाता है तो चोरी में दर्ज हो जाता है नकबजनी में कोई गिरोह बन कर जाता है और कहीं मकान को पीछे से भेद कर के और उसमें से चोरी कर लेता है तो वो नकबजनी हो गयी। अब इतना तो आप भी जानते हो। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जैसे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ आपकी पार्टी में घुस आये पीछे से छेद कर के।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी भावना को समझते हुए सभी माननीय सदस्यों को हमने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):xxx

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से जो और कुछ चोरियां अभी तक हम रिकवर नहीं कर पाये हैं, हम लगातार इस प्रयास में हैं कि निश्चित रूप से जो बाकी चोरियां अभी तक नहीं खोल पाये वो भी खोलेंगे। इतना हमें भरोसा है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पहले मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर की आबादी लगभग 6 लाख से ऊपर हो गयी है और उसमें 348 पुलिसकर्मियों की नफरी कैसे बीकानेर शहर की रखवाली कर पायेगी तो क्या आप पुलिस की नफरी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं? यदि रखते हैं तो वह कब तक पुलिस की नफरी आप बढ़ायेंगे?

दूसरा, हनुमानदास सिपानी, पर्टिकुलरली एक केस बता रहा हूं, ऐसे केस कई हैं, 27 लाख रुपये की चोरी उसके घर में हुई लेकिन दो महीने हो गये आज तक बरामदगी नहीं हुई। ऐसी बड़ी चोरी हो जाए और उस चोर को पकड़ा नहीं जाए तो इससे निश्चित रूप से जैसा आपने भी भावना व्यक्त की कि बीकानेर दहशत और चोरों के खिलाफ एक बहुत ऐसा वातावरण बना है कि जगह-जगह चोरियां हुई हैं, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए।

दूसरा, जो माल की बरामदगी हो जाती है उसके बाद माल की सुपुर्दगी में जो समय लगता है उसको कम करने के लिए आप क्या-क्या उपाय करने जा रहे हैं?

और अंत में एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जिन थानों के अन्तर्गत ज्यादा चोरियां हुई हैं क्या उन थाने के पुलिसकर्मियों को बदलने का विचार रखते हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जस्ट ए मिनट, गृह मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, जवाब आ जाए ...(व्यवधान) नैक्स्ट में आप ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गृह मंत्रीजी, बिराजें। पूरे राजस्थान में चोरियां हो रही हैं। अकेले बीकानेर में नहीं पूरे राजस्थान में चोर गिरोह इतने सक्रिय हो गये हैं ...(व्यवधान) आप बिलकुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गंगापुर सिटी के लिए आपके माननीय सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं, मैं भी परेशान हूं, पूरे सवाई माधोपुर में जबरदस्त चोरियां हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं...(व्यवधान) थोड़ा इनका जवाब आने दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की कोशिश की कि सम्भागीय स्तर पर वर्ष में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर प्रत्येक थाने में जो भी चोरी, नकबजनी, सम्पत्ति सम्बन्धी जितने अपराध हैं उन सब लोगों के साथ बैठ कर एक-एक थाने का रिव्यु किया, जिन थानों का रिकवरी परसेंटेज बहुत कम था या जिन्होंने 11 चोरियां हुई और 2 ही खोली उनको मैंने उसी समय थाने से बदल कर के और लाइन में भेजा है। ऐसा मैंने एक जगह नहीं, जिस सम्भाग में भी गया हूं, जिसका रिकवरी परसेंटेज कमजोर था, जिसका चालानी परसेंटेज विशेष कर के सम्पत्ति अपराध में, क्योंकि पुलिस की एफिसिएंसी का मापदण्ड अगर कोई है तो वो रिकवरी है चोरी की और इस सम्पत्ति अपराध की और इसको बराबर मानीटरिंग किया है, मैं अपने स्तर पर भी करता हूं।

जहां तक संख्या है, नफरी कितनी बढ़ेगी, अभी आपने देखा होगा कि यह वास्तव में माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार है कि उन्होंने 11,200 पुलिसकर्मी की भर्ती का हम को आदेश दे दिया और इसी बजट में 3000 और दिया, 14,000 पुलिसकर्मी अगर इस छोटे से कार्यकाल में नयी भर्ती हो निश्चित रूप से उसके अनुपात में और लगभग आपने देखा होगा कि 300 नयी चौकियां और अभी जो बजट में 25 नये थाने मिले हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग कर के अधिक से अधिक संख्या पुलिस बल की कैसे बढ़ायी जाए।

जो आपने 27 लाख की चोरी की है, उसके बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं पर अभी इस...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चोरी की नहीं, चोरी हुई है। ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में कितने पुलिस वालों की भर्ती हुई, यह भी बता दें गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 27 लाख रुपये की जो चोरी हुई है उस चोरी की बरामदगी का प्रयास भी करेंगे। इसी साल में हमने 10 लाख 25 हजार की रिकवरी, एक जो चोरी हुई थी उसकी रिकवरी भी की है। मेरे पास एक-एक केस के बारे में और उसकी रिकवरी, जहां तक सवाल है सुपुर्दगी करने का, जब तक कोर्ट से हम को उसकी सुपुर्दगी का आदेश नहीं मिलेगा हम सीधा सुपुर्दगी करने में सक्षम नहीं हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अंत में एक प्रश्न और करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, फिर आप कर लेना।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी क्या इस बात का विचार रखते हैं कि जिन थानों के अन्तर्गत ज्यादा चोरियां हुई हैं वहां कोई आप किसी का दायित्व तय करेंगे? और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: बदल दिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्योंकि जिन थानों में ज्यादा चोरियां हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि वहां के पुलिसकर्मी इनवाल्व हैं नहीं तो चोर क्या पुलिस से छिपे हुए रहते हैं? जहां लगभग एक करोड़ 79 लाख रुपये तक की चोरियां हो जाएं, बहुत छोटी अवधि में इतनी बड़ी-बड़ी चोरी जिसमें 27 लाख का माल एक ही स्थान से चला जाए और वो थानेदार या वहां के एरिया से छिपा रहे तो मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब आपने क्योंकि जबरदस्ती छेड़ दिया, मैं तो उस विषय पर जाना नहीं चाहता। मैंने आपकी पूरी जन्मपत्री बना रखी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरी? मेरी क्या जन्मपत्री बना रखी है? ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): जन्मपत्री तो आपकी बना रखी है हमने ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट। मेरी जन्मपत्री आप कब से बनाने लग गये? आप पंडित हो गये क्या कभी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह तो पंडित का काम है ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी, जन्मपत्री या हिस्ट्रीशीट? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पुलिस वाले करम पत्री बनाते हैं जन्मपत्री नहीं बनाते हैं। (व्यवधान)

पुलिस वाले कर्म पत्री बनाते हैं जन्मपत्री नहीं और मैं कर्म से इतना स्वच्छ हूं कि ...(व्यवधान) आपका डंडा कहीं घुमा लें आप के डंडे के अन्तर्गत नहीं आने वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो बीकानेर की बात है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए आज ऐसा लगता है कि आपके नींद की कमी है। आप एक लाख चार हजार को एक लाख चालीस हजार बोल गये फिर आप ...

श्री अमराराम (धोद): आपने जन्मपत्री बनायी है या इनकी हिस्ट्रीशीट बनायी है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जो भी जन्मपत्री, कर्मपत्री जानते हैं पढ़ लें, आपको छूट है लेकिन आप जो थानों में चोरियां हो रही हैं उनको रोकने पर पाबंदी लगाएं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय गृह मंत्रीजी आपके गृह मंत्री बनने के बाद सारे राजस्थान की मूर्तियां चोरी हो गयीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनका अंकित नहीं होगा।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किसकी परमिशन से बोल रहे हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: इनका अंकित नहीं होगा।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप। बीकानेर की जन्मपत्री से मतलब था आपकी थोड़े ही है कोई।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): जितना वृत्तांत गृह मंत्रीजी ने दिया है इस चोरियों में बार-बार चोरी करने वाले हैबीचुअल आफेन्डर क्या आपने आइडेन्टिफाई किये हैं? यदि किये हैं तो उनके खिलाफ कोई पुख्ता कार्यवाही हुई? दूसरा, वाहन चोरों का मामला बहुत ज्यादा पूरे राजस्थान में है, गृह मंत्रीजी की जानकारी में है, आप सबकी जानकारी में है तो मैंने यहां एक बार कलक्टर कान्फ्रेंस में ध्यान आकर्षित किया था। यू पी और बिहार में सारे चोर वाहनों को पार कर देते हैं, हम भरतपुर की सीमा तक तो मुलजिमों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं लेकिन क्या गृह मंत्रीजी यू पी और बिहार में जो माफियाज वहां डवलप हैं, जहां राजस्थान का सत्तर प्रतिशत वाहन जाता है उनके खिलाफ यहां की पुलिस भेजकर पुख्ता कार्यवाही करायेंगे? चौथा कई लोग जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं वह सी एल जी के मैम्बर बने हुए हैं, उनको सरकार हटाने का इरादा रखती है?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी ने कहा कि हम ग्यारह हजार कुछ भर्ती करने जा रहे हैं और तीन हजार पहले, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो रिटायरमैंट हो रहे हैं पुलिस कर्मी इनके अगेन्स्ट में भर्ती करेंगे या नई पोस्ट क्रियेट कर रहे हैं इस बजट में? यह जरा सदन को जरूर बता दीजिएगा।

श्री उपाध्यक्ष: वह आ जाएगा। सब शामिल ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो पद रिक्त थे उनके अगेन्स्ट तो पहले से ही हमको 11,200 पिछले वर्षो में मिल गयी। यह जो तीन हजार की भर्ती है यह हमारी वेकेन्सी के अतिरिक्त है। दूसरा जो विशेषकर के वाहन चोरों का जिस प्रकार का एक तरह से इस प्रदेश में प्रतिशत बढ़ा हुआ है। उसके लिए निश्चित रूप से मैं सोचता हूं दस तारीख को जब डिमांड डिसकस होगी, हम अबकी बार कोई अलग से ही एक फोर्स बनायेंगे जो केवल व्हीकल चोरी का ही काम करेगी पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए और इसके लिए अलग से ही टीम गठित जैसे एस ओ जी गठित की है वैसे ही केवल व्हीकल चोरी के लिए ही अभियान चलाकर के इस काम को करेंगे निश्चित रूप से।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं काफी देर से आपसे निवेदन कर रहा था, आपने इधर देखा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बीकानेर का प्रश्न हो तो पूछिये आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने जो वाहन चोरी के कैस हैं, उनमें यह कह दिया कि हमने एक टीम गठित की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधायक विजयजी बंसल की गाड़ी चोरी हो गयी, वह आज तक बरामद नहीं हुई। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो टीम गठित की है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जनरल जगह-जगह की चोरियों के बारे में ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): जो आपने टीम गठित की वह जिस अधिकारी को आपने ...(व्यवधान) पहले सुनें आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सात दिन पहले म्हारी गाड़ी चोरी हो गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आपने एक टीम गठित की है वाहन चोरों को पकड़ने के लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय घनश्यामजी, आपको पीड़ा होगी, सात दिन पहले हमारी गाड़ी चोरी हो गयी, मैंने मंत्रीजी को निवेदन भी कर दिया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) यह प्रश्न अलग है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं गृह मंत्रीजी से आपने जिस अधिकारी को वाहन चोरों को पकड़ने के लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीकानेर से संबंधित है माननीय सदस्य?

एक माननीय सदस्य: बनवारी लालजी की भी हो गयी है ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं गृह मंत्रीजी से कि आपने जिस अधिकारी को वाहन चोरों को पकड़ने के लिए लगाया है, आपने क्या उसको ...(व्यवधान) वह आपके हंसराज मीणा, कमलेश मीणा इनको पकड़कर लाया और एक सरदारजी के बाल काटे, वह थानेदार उस मीणा को भी पकड़कर लाया जिसने बाल काटे थे, क्या आपने उसको पुरस्कृत किया, क्या अपनी तरफ से क्या आप करना चाह रहे हैं क्या उसको? मैं यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत। ...(व्यवधान) कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने यह कहा कि दस तारीख को जब पुलिस डिमांड है उस दिन हम विशेषकर के चोरी की बरामदगी की दृष्टि से टीम गठित करने की बात, मैंने दस तारीख के लिए जब हमारी पुलिस की डिमांड होगी उस दिन इसका गठन करने के बारे में जो विचार हमारा बन रहा है उस दिन मैं डिक्लियर करूंगा कि टीम बनायेंगे। अभी तो ...

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं यह कह रहा हूं कि सरदार जी के बाल काटने का मामला अन्तराष्ट्रीय हो गया था और आपकी पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा था, आपका थानेदार उसको पकड़कर लाया, क्या आपने उसको पुरस्कृत करने का विचार किया क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, वह उस रोज दस तारीख को बतायेंगे ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उत्तरदायित्व किसी का फिक्स करोगे कि नहीं इतनी बड़ी चोरियों के बारे में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको पहले ही बता दिया उत्तरदायित्व नहीं हम मानीटरिंग करते हैं। जहां का भी चोरी का परसंटेज कम है, जिनका चालानी परसंटेज कम है उनके खिलाफ निश्चित रूप से हमारी कार्यवाही हो रही है। मैं स्वयं भी जाता हूं तो उसको रिव्यु करके उनके सारे निकालकर के निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय करके आता हूं उसी समय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाकी जो चोरियां रह गयी हैं उनको बरामद कब तक कर देंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कह दिया ना, कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत।

भीम विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाएं

161. **श्री हरीसिंह रावत** (भीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पेयजल की समस्याओं के समाधान हेतु 1500 की आबादी वाले ग्रामों जैसा बार डासरिया, लसाडिया, मियालाखेत, राजवा, नोखावास को पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जी हां। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक जनसंख्या वाले हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित तहसील भीम के ग्राम लसाडिया (जनसंख्या वर्ष 2001-1525) एवं मियालाखेत (जनसंख्या वर्ष 2001-1992) को पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच की क्रिया में हैं।

शेष चार गांव क्रमश: बार, डासरिया, राजवा एवं शेखावास हेतु हैण्डपम्प योजना से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। योजना के सक्षम स्तर पर प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति बाबत निर्णय सम्भव होगा।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदयजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां जो आपने बताया लसाडिया और मियालाखेत इसी अनुरूप करीब मेरे दस गांव और भी हैं जिनकी सैंसस 2001 के हिसाब से 2105, मियालाखेत 1992, डासरिया 1984, तीतरी 1794, शेखावास 1674, बार 1602, राजवा 1587, लसाड़िया 1525, सदा भोज का बाड़िया 1520, डूंगरखेड़ा 1514, तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। अगर इसी योजना में ले रहे हैं तो दो के अलावा यह जो बाकी हैं इनको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, इस बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की जो विभिन्न योजनाएं बनती हैं इसके लिए सबसे पहला तो जरूरी है कि वहां पर सोर्स होना चाहिए और जहां सोर्स उपलब्ध नहीं होता तो फिर हैण्डपम्प जिसमें कम से कम डिस्चार्ज के आधार पर पानी उपलब्ध होता है तो गांवों के अन्दर हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। तो माननीय सदस्य ने जो पूछा यह लिस्ट हमारे पास भी है कि कहां की आबादी 1500 है और अधिक है तो जैसे-जैसे सोर्स मिलेगा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि लोगों को पानी उसी तरीके से मिले, पम्प एण्ड टैंक के आधार पर, रेवेन्यू स्कीम के आधार पर और इस चार साल में बहुत योजनाएं हमने सैंक्शन की हैं तो जहां भी सोर्सेज की उपलब्धि होगी उसके ऊपर विचार किया जाना सम्भव होगा।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र पूरा पथरीला और पहाड़ी एरिया है। वहां अगर हैण्डपम्प की कहीं योजना भी लागू करना चाहें तो वहां गाड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में उन गांवों का क्या किया जाएगा क्योंकि न तो हैण्डपम्प लग सकता है और न ही पानी की दूसरी कोई व्यवस्था है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां कोई ऐसी परमानैंट योजना का विस्तार किया जाय ताकि हर गांव को पानी मिल सके।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अभी सोलह पंचायतें अकाल की चपेट में हैं वहां भी पानी की इस समय भंयकर समस्या है जैसे भीम, टोम्बी, बल्ली, कूकडा, थानेटा, लसाडिया, कालादे, अजीतगढ़, समेलिया, जैतगढ़, बार, डूंगरखेड़ा, सारोड़ा, लगेतखेड़ा, शेखावास और बोरवा ...(व्यवधान) यहां भी उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी है कि वहां अकालग्रस्त है और वहां पानी की बहुत भंयकर समस्या है और जानवरों के भी पीने की समस्या है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां भी तत्काल व्यवस्था करायी जाए।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक जिस प्रकार भोमादेय योजना मेरे लागू की है उसी प्रकार से छापली का एक जो एनीकट बन रहा है हरीसागर अगर वहां का भी ...(व्यवधान) आठ मीटर का जो प्रस्ताव है उसकी जगह अगर पच्चीस मीटर कर लिया जाए तो इसमें बीच में पड़ने वाले जो गांव हैं उसमें पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बड़ी योजनाएं तो आप सैंक्शन कर देते हैं लेकिन छोटे-छोटे पाइपों को चैंज करने के लिए, छोटे-छोटे जो ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरीसागन में छापली पड़ने वाले ...(व्यवधान) जो आने वाले बीच में गांव पड़ते हैं...(व्यवधान) मोहनजी मेरी बात तो सुन लो, इसमें बीच में पड़ने वाले गांव हैं

छापली, छीमाखेड़ा, बड़जाल, बागाना, कामलीघाट, विजयपुरा से होते हुए देवगढ तक मेरे पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा इसलिए मेरा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि उस 8 मीटर को भी 25 मीटर में ले लें। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक मेरा भी प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा और निवेदन है कि ग्रामीण जनता जल योजना की जो क्रियान्विति हुई गांवों में वहां भत्ता केवल 500 रुपये देते हैं। 500 की जगह अगर उसको 2500 रुपया कर दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि उसके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रामीण जनता जल योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भत्ता केवल 500 रुपये ही दिया जाता है, उसको 2500 अगर कर दिया जाए तो यह अच्छा रहेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है पहाड़ी एरिया है, हैंड पम्प खोदने में भी प्राब्लम आती है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि छोटी मशीनें भेजने की हम व्यवस्था करेंगे, पानी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे चाहे टैंकर लगाने की आवश्यकता हो। चार साल में भी जहां-जहां सम्भव था, माननीय सदस्यों ने बताया हमने योजनाएं बनायी हैं। अब आप एनीकट की बात कर रहे हैं कि 8 मीटर से एकदम 25 मीटर की, तो मैं यहां से लोकेशन जानता नहीं हूं। अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी, एक बार इसको एग्जामिन करवा लेंगे। निश्चित रूप से अगर फिजीबल होगा और उसकी वजह से कहीं कोई अड़चन नहीं आती है तो उस पर विचार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरा, जनता जल योजना का है। अब इसके बारे में तो आप जानते हैं वित्तीय मामले में हम बातचीत करेंगे जो भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। अनुपस्थिति के लिए अनुमति ...(व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप गैर हाजिर ...(व्यवधान) आपका काल कर लिया ...(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को
दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

दिनांक 4 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय दुबारा दुर्घटनाग्रस्त हो गयी हैं या पहले वाले एक्सीडेंट से ही छुट्टी ले रही हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): श्रवणजी, आप बताओ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वह बी जे पी की परीक्षा ले रही हैं कि हमारे बगैर विधान सभा चला सकते हैं क्या? कोई बीमारी नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य, विधान सभा को
दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक अनुपस्थित रहने बाबत

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(स्वीकृत)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(श्री उपाध्यक्ष)

1. श्री जुबेर खान एवं 9 अन्य सदस्यों की और से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की फसल को पर्याप्त बिजली एवं पानी नहीं मिलने से फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

इसी विषय पर इसी सत्र में सदन में विभिन्न अवसरों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा सरकार ने उत्तर भी दिया है साथ ही दिनांक 13 मार्च को सिंचाई विभाग की अनुदान की मांग एवं दिनांक 15 मार्च, 2008 को बिजली पर विस्तृत चर्चा रखी गयी है। माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर में पाक सीमा से सटे प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि के बेचान की सी बी आई से जांच कराने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रकरण तत्काल घटित घटना से संबंधित नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

1. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु खाखून्दा में बांध का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली एवं बामनवास में नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा नहीं देने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम नारहेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य की ओर से नगर पालिका तिजारा को अपने क्षेत्र की सम्पत्तियों के बेचान पंजीकरण पर आधा प्रतिशत उप कर को हटाने के सम्बन्ध में।

5. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर की माउण्ट आबू की सालगांव बांध परियोजना को स्वीकार कर लागू करने के सम्बन्ध में।

6. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

7. श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से ग्राम लोथल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण होने के उपरान्त भी वहां पी एच सी नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को मकान निर्माण हेतु दिये जाने वाले आवास ऋण पर ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की छूट देने के सम्बन्ध में।

9. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से रेवदर पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी अनुसूचित जाति की तरह कृषि कुओं में विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

10. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की और से पिलानी की नगर पालिका के सरकारी रिकार्ड में काट छांट करने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से मेड़ता कृषि मंडी में किसानों को अपनी फसलों को लाने ले जाने हेतु सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

12. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से जिला प्रमुख, उदयपुर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे काफी माननीय सदस्यों ने राजस्थान में जो पानी फसलों को नहीं मिल रहा है, नहरी क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, बाकी इलाकों में बिजली नहीं आने की वजह से नहीं मिल रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर दे दी मैंने व्यवस्था ...(व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जा चुकी है माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाषण देने के लिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा हाउस को चलाने की नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना पानी इस सरकार के कार्यकाल में मिल रहा है कांग्रेस ...(व्यवधान) किसानों को नहीं दी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान में सबसे ज्यादा हुई है ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): इसके ऊपर चर्चा कराने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ×××

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.12 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित हुई)

(समय : 12.42 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन को नहीं चलाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) आप बिजनस होने दें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काग्रेस पार्टी के नेता यह बता दें कि पिछले पांच साल में किसानों के लिए क्या किया। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कांग्रेस ने अपने शासन काल में किसानों को बिजली नहीं दी, पानी की व्यवस्था नहीं की और अभी इनके नेता भी कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप अपनी बात रखें, बोलने का मौका दिया जाएगा। आप सदन को चलने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अपना नेता तो तय करो। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं, यह बताएं पहले, कोई भी बात है उसको एक व्यक्ति कह दे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लाखों किसान आज बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश से यहां इकट्ठे हुए हैं, उनकी समस्याओं को रखने के लिए आज हमने ... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में शोर व नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन को चलने दीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपको कहने का अवसर मिलेगा, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): आप किसानों के विरोधी रहे हो, चाहे रोड का मामला हो चाहे बिजली पानी का मामला हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं बैठते हैं तो फिर आसन को अपनी कार्यवाही करनी पड़ेगी ...(व्यवधान)। आपको कहने का मौका मिलेगा।

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तीव्र शोर व नारेबाजी)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ...(व्यवधान) सरकार किसानों को पानी नहीं दे रही है, उनको पानी देने का आश्वासन दे दिया ...(व्यवधान) आज हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। (व्यवधान) आप शांति रखिए। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तीव्र शोर व नारेबाजी)

अब कुछ भी अंकित नहीं होगा।

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तीव्र शोर व नारेबाजी)

माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान) सदन की बैठक आधा घंटे के लिए और स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.50 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.20 बजे)

(सदन की बैठक पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की रैली चूंकि फ्लाप हो गई है, यह एक महीने से घूम रहे थे और 15 हजार आदमी आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जनता ने इनको आइना दिखा दिया, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस सदन में गतिरोध पैदा किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन ग्रहण कर लीजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनकी रैली फ्लाप हो गई। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लाखों किसान विधान सभा के बाहर अमरूदों के बाग़ में जमा हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। ...(व्यवधान) आप बैठिए तो सही। आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। मैं फिर बिजनेस शुरू कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, या तो आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

मुझे माननीय सदस्यों को निवेदन करना है कि 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं का पढ़ा हुआ मान लिया गया है। ...(व्यवधान)

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दों पर कल चर्चा होगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता जान चुकी है। ...(व्यवधान) इस विधान सभा में हो-हल्ला इसलिए करना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के द्वारा ...(व्यवधान) इन्होंने यह जो रैली आयोजित की है, वह फेल हो चुकी है। वहां संख्या कुछ भी नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के बाहर ...(व्यवधान) विधान सभा में उसके ऊपर चर्चा कराई गई है। हमारा आपसे निवेदन है कि जो किसान बिजली के लिए, पानी के लिए, बार्डर की जमीन बेच दी उसके लिए जो किसान यहां संघर्ष करने आया है।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य, विधान सभा, तीन याचिकाओं को उपस्थापित करेंगे। -अनुपस्थित।

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री नरपत सिंह राजवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य:विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी रखने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2008 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुदान की मांगों की प्रस्तुति

मांग संख्या-42 उद्योग

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ उद्योग मंत्री की तरफ से अनुदान की मांग संख्या-42 ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)(उद्योग मंत्री के स्थान पर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,26,21,000/- (बहत्तर करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

मांग संख्या-43 खनिज

श्री उपाध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण दवे, खनिज मंत्री अनुदान की मांग संख्या-43 ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,33,65,000/- (चवालीस करोड़ तैंतीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाथूसिंह गुर्जर, सहकारिता मंत्री अनुदान की मांग संख्या-36 पर विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या-36- सहकारिता

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या-36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,38,23,000/- (एक अरब छप्पन करोड़ अड़तीस लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 36, 42 व 43 पर कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

मांग संख्या-42 उद्योग, 43 खनिज एवं 36 सहकारिता पर विचार

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-42 उद्योग, 43 खनिज और 36 सहकारिता पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) इनको किसानों ने ठुकरा दिया, किसानों के ऊपर केवल आंसू बहाने वाले हैं, इनके नेता का पता नहीं ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक-एक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किये हैं।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसी कांग्रेस पार्टी है, कभी कोई नेता बनता है, कभी कोई नेता बनता है, अभी यह तय नहीं है कि श्रीमान् नारायण सिंहजी के नेतृत्व में यह रैली है या सी पी जोशीजी के नेतृत्व में है या अपने अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में है, ये किसका नेतृत्व है, यह तो बताओ। ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब 1995-96 में ...(व्यवधान) राजस्थान में 214 करोड़ रुपये था। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आपको समय दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और उसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जिस रैली की यह बात कर रहे थे वह 12 हजार आदमी भी नहीं पहुंचे हैं। ...(व्यवधान) फ्लाप रैली, फ्लाप नेता और उसके आधार पर बोखला कर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): +++

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बोलना नहीं चाहते हैं? (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.30 बजे एक घंटे के लिए स्थगित की गई)

(समय : 14.30 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाखों किसान विधान सभा के बाहर हैं। लाखों किसान सड़क पर हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इनकी रैली फ्लाप होने के कारण इनकी हवाइयां उड़ रही हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से यह इनकी फ्लाप रैली है। (व्यवधान) कोई आया नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप किसानों की समस्या सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसान वर्ग के लोगों ने इनको असली चेहरा दिखा दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, रैली फ्लाप होने के बाद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य को बोलने दीजिये माननीय सदस्य। श्री शान्तिलाल चपलोत। श्री शान्तिलाल चपलोत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): जनता पूरी तरह से ठुकरा चुकी है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : मर्जी आये सो कर दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आप एक मिनट में...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लाखों किसान सड़क पर हैं। लाखों किसान सड़क पर हैं, लाखों हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36, 42 व 43 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपको नकार दिया है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, केवल 5000 आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लाखों किसान सड़क पर हैं। लाखों किसान सड़क पर हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का अपहरण हो गया, इनका नेता कौन है, यह तो बताओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का अपहरण हो गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके चेहरे देखो, इनकी हवाइयां उड़ रही हैं (व्यवधान) राजस्थान के किसान के हितैषी हैं, इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। (व्यवधान) बड़ी रैली की डींग हांक रहे थे। 15000 आदमी हैं पूरे राजस्थान से (व्यवधान) पूरे राजस्थान से 15000 आदमी हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आप बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपको बोलने का मौका दिया जायेगा। आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बीच में टोकाटोकी मत कीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की रैली पूर्ण रूप से फ्लाप है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय चपलोतजी बैठिये। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) आप बहस नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य, आप लोग मांग पर बहस नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखना चाहते हैं, अत: उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उद्योग मंत्रीजी। माननीय उद्योग मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। (व्यवधान) आप इस मांग के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन का समय जाया करना चाहते हैं इसलिए मांग संख्या-43 के सम्बन्ध के मेरा वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मेरा वक्तव्य, चूंकि ये सुनना नहीं चाहते, बहस नहीं करना चाहते, ये किसानों के हितैषी नहीं हैं इसलिए मैं मेरा वक्तव्य सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये कांग्रेस पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्होंने अपने शासन में राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय किया है। (व्यवधान)

पारण

मांग संख्या-43 खनिज

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मांग संख्या-43 खनिज को पारित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 44,33,65,000 (चवालीस करोड़ तेंतीस लाख, पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-42 उद्योग को पारित किया जाये।

मांग संख्या-42 उद्योग

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,26,21,000 (बहत्तर करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या-36 को पारित किया जाये, स्वीकार किया जाये।

मांग संख्या-36 सहकारिता

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,38,23,000 (एक लाख छप्पन करोड़ अड़तीस लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.40 बजे, बुधवार दिनांक 5 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की लम्बित पेयजल योजनाएं

155. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पेयजल हेतु विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2002 से अब तक कितने प्रस्ताव किस-किस स्थान हेतु सरकार को प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत बोखाड़ा को नल योजना से कब से जोड़ा गया तथा क्या पेयजल सुविधा मिल रही है? यदि नहीं, तो कब से? अब उक्त पेयजल व्यवस्था कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

(3) क्या सरकार ग्राम वास, पडावली कला तथा पानेर दियाण, पलासमा, चित्रावास, रावछ को पेयजल की किसी भी योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, गोगुन्दा में वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08 की अवधि में पेयजल योजना एवं हैण्डपम्प स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) पेयजल योजनाऐं :- प्रस्तावित 8 पेयजल योजनाओं में से 7 योजनाओं की स्वीकृति की जाकर 1 योजना पूर्ण की जा चुकी है। 6 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

शेष 1 योजना के प्रस्ताव तकनीकी जांच प्रक्रिया में विचाराधीन है।

(ब) हैण्डपम्प :- वर्णित अवधि में कुल 898 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए। अब तक 478 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) ग्राम बोखाडा को पम्प एवं टैंक जल योजना से माह अक्टूबर, 2003 में जोड़ा गया। ग्राम स्थित स्रोत (खुला कुंआ) के सूख जाने के कारण मई, 2006 से उक्त योजना बंद है। क्रियाशील 18 हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त ग्राम पुनर्गठित पेयजल योजना, के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में हैं। जांच में सही पाये जाने के उपरांत योजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय उपरांत क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(3) वर्णित समस्त ग्राम वर्तमान में हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है। 3 ग्राम क्रमशः वास, पड़ावली कला एवं पलासमा की पम्प एवं टैंक योजना में परिर्वतन की स्वीकृति जारी हो चुकी है। स्वीकृति एवं लाभान्वयन संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

ग्राम रावछ (जनसंख्या वर्ष 2001-3179) की आबादी बिखरी होने के कारण हैण्डपम्प योजना ही फिजीबल है। 14 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।

ग्राम पानेर, दियाण एवं चित्रावास विभागीय मानदण्ड अनुरूप हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जन्म एवं शिशु मृत्यु दर में कमी हेतु कार्य-योजना

157. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नीति बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थान में जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गये व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में वर्ष 1999 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत जनसंख्या नीति बनाई गई है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राज्य में जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी करने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :-

1. प्रति वर्ष योग्य दम्पत्तियों का सर्वेक्षण कर उनको इच्छानुसार परिवार कल्याण की सेवाएें उपलब्ध करवाई जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2. प्रत्येक ग्राम स्तर पर प्रसाविका, आशा सहयोगिनी एवं जनमंगल जोड़ों के द्वारा अंतराल साधन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

3. राज्य में स्टेटिक सेन्टरों पर प्रतिदिन नसबंदी आपरेशन एवं गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

4. एन.एस.वी. पुरूष नसबन्दी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

5. परिवार कल्याण बीमा योजना के तहत नसबन्दी केसेज एवं नसबन्दी करने वाले सर्जन/संस्थान को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

6. राज्य में निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है।

7. परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ठ कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं को प्रति वर्ष जनसंख्या दिवस पर पुरूस्कृत किया जाता है।

राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी के लिये निम्नलिखित योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं:-

1. टीकाकरण कार्यक्रम
2. मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस
3. जननी सुरक्षा योजना
4. आई.एम.एन.सी.आई व माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेन्ट कार्नर

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में अग्नि पीड़ितो को मुआवजा

158. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में कहां-कहां कितने अग्नि काण्ड हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अग्निकाण्ड में प्रभावित किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अग्निकाण्ड में हुये नुकसान हेतु मुआवजा राशि देने के मानदण्ड गत 25 वर्षों से एक ही है? क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत तीन वर्षों में निम्नानुसार अग्निकाण्ड हुए :-

वर्ष	**अग्निकाण्डों की संख्या**
2005	147
2006	179
2007	178

विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त अग्निकाण्डों में प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिवार दी गयी सहायता का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी नहीं। अग्निकाण्ड में पीड़ितो को सहायता केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सी.आर.एफ. के मापदण्डों के आधार पर स्वीकृत की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 5 वर्ष के अन्तराल में सी.आर.एफ. मापदण्डों की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में राज्य में अग्निपीड़ितो को सहायता केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सी.आर.एफ. के नवीनतम मापदण्ड (दिनांक 27.6.2007) के आधार पर स्वीकृत की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

पुनर्विवाहित विधवा की पुत्री के विवाह हेतु व्यवस्था

162. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पालनहार योजना व विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना के नियम, मानदण्ड, व अध्यावधि संशोधनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यदि किसी बालक/बालिका के पिता की मृत्यु हो जाती है एवं माता (विधवा) पुनर्विवाह कर लेती है तो उन बच्चों को पालनहार योजना का लाभ नहीं दिया जाता है जब कि बच्चे अपने बूढ़े दादा/दादी के साथ रहते हैं? यदि हां, तो उन बच्चों की परवरिश के लिए कौन जिम्मेदार होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधवा यदि पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी पुत्री की शादी के लिए सरकार की क्या योजना है?

(4) क्या सरकार उक्त योजना में ऐसे उक्त निर्दोष/मासूम बच्चों को लाभान्वित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ में जनवरी, 2004 से अब तक कुल ऐसे कितने प्रकरण निरस्त किये गये? क्या सरकार उक्त को पुनः स्वीकृत कर लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पालनहार योजना व विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना के नियम मानदण्ड व अध्यावधि संशोधनों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' व 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्तमान नियमों में ऐसे बच्चों को योजना में लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

(3) यदि पुत्री मां के साथ नहीं जाती है तो देय है।

(4) योजना विचारार्थ है।

(5) चित्तौड़गढ़ में जनवरी, 2004 से अब तक ऐसे कुल 3 प्रकरण निरस्त किए गए। योजना में प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त प्रकरणों को पुनः स्वीकृत कर लाभान्वित करने का सरकार का विचार नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

लूणकरणसर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ट्रोमा यूनिट की स्थापना

163. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाजन को ट्रोमा अस्पताल में क्रमोन्न्त करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव गुसाइसर व बामनवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर इनमें भी ट्रोमा अस्पताल की सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ट्रोमा अस्पताल स्थापित करने का प्रावधान नहीं है। ग्राम गुसाइसार पंचायत समिति डूंगरगढ़ का ग्राम है एवं ग्राम बामनवाली पंचायत समिति लूणकरणसर का ग्राम है। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लम्बित खनिज आवेदन

164. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा में गत पांच वर्षों में किन-किन गांवों में किस-किस व्यक्ति के नाम किस-किस किस्म की भूमि पर मिनरल खानें आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से वर्तमान में कितनी खानें चल रही हैं एवं इनमें किनती मात्रा में कौन-कौनसा खनिज निकाला जा रहा है?

(3) उक्त क्षेत्र में खान आबंटन हेतु गत 5 वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने स्वीकृत किए गए एवं कितने लम्बित हैं?

(4) सरकार लम्बित प्रकरणों का कब तक निस्तारण करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत खानों में से वर्तमान में 44 खानें चल रही है एवं प्रत्येक खान में उत्पादन की मात्रा व उत्पादित खनिज का नाम (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र में खान आबंटन हेतु गत 5 वर्षों (जनवरी, 03 से अब तक) कुल 1029 आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनमें से 72 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए एवं 513 आवेदन पत्र वर्तमान में लम्बित है।

(4) लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 एवं प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत शीघ्रतिशीघ्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले के चर्म उद्योग की आबादी क्षेत्र से दूर स्थापना

165. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? क्या सरकार जैसलमेर जिले में सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) जैसलमेर जिले में चर्म उद्योग व्यवसाइयों के विकास व प्रोत्साहन के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या सरकार पोकरण में कार्यरत कच्चा चमड़ा सफाई रंगाई के व्यवसाइयों को आबादी से दूर स्थाई कारखाना लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर जिले में औद्योगिकीकरण के लिए पृथक से कोई नीति नहीं बनाई गई है, लेकिन जैसलमेर जिले में सीमेन्ट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये निम्न प्रयास किये गये है :-

1. दिनांक 13.4.2007 को राजस्थान इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2003 में संशोधन किया जाकर यह प्रावधान किया गया है कि जैसलमेर जिले में लगने वाले प्रथम सीमेंट प्लान्ट जो कि 3 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का हो और जिसमें एक हजार करोड रुपये का निवेश हो तथा जिसमें 25 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जावें, को 12 वर्ष की अवधि तक इन्ट्रैस्ट सबसिडी (Interest Subsidy) एवं वेज एम्पलौयमैंट सबसिडी (Wage Employment Subsidy) देय होगी।

(उद्योग मंत्री)

2. दिनांक 30.11.2007 को आयोजित रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप सममिट के अवसर पर राज्य सरकार ने चार कम्पनियों के साथ जैसलमेर जिले में सीमेन्ट प्लांटों की स्थापना हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट निष्पादित किये हैं जिसमें कुल 6908 करोड़ रुपये की राशि का निवेश प्रस्तावित है। कम्पनियों व निवेश का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) जैसलमेर जिले में चर्म उद्योग के विकास एवं प्रोत्साहन के लिये पृथक से कोई योजना नहीं है। अपितु चर्म व्यवसायियों की दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण की योजना पूरे राज्य में लागू है, जिसमें जैसलमेर भी सम्मिलित है। पोकरण में कार्यरत कच्चा चमडा सफाई, रंगाई के व्यवसायियों को आबादी से दूर कारखाना लगवाने का राज्य सरकार कोई विचार नहीं है क्योंकि यहां केवल 5 चर्मकार ही कुंडियों में चर्म रंगाई का कार्य करते हैं एवं वहीं पर रहते है एवं यह आम आबादी क्षेत्र से बाहर है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	**कम्पनियों के नाम**	**क्षमता का सीमेन्ट प्लान्ट**	**विनिवेश की जाने वाली राशि**
1.	लाफार्ज इण्डिया प्रा.लि.	3 MTPA	14000 करोड़
2.	श्री सीमेन्ट लि.	3 MTPA	1200 करोड़
3.	मैसर्स सांघी इण्डस्ट्रीज लि.	7 MTPA 120 MW Thermal Power Plant based Upon lignite	2500 करोड़ 500 करोड़ (कुल 3000 करोड़)
4.	मैसस आधुनिक कॉर्पो. लि.	3 MTPA 50 MW Captive Power Plant	1308 करोड़

पीलवा पुलिस थाना (नागौर) में दर्ज प्रकरण संख्या- 30/07

166. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसावतों की ढाणी ग्राम जावला, तहसील परबतसर के खसरा नं. 216 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निर्माण विद्यालय की विकास समिति (SDMC) द्वारा करवाया गया था, जिसे कुछ लोगों द्वारा तोड़ दिया गया? यदि हां, तो तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम जावला के खसरा नं. 216 में जहां भूमि का आबंटन हुआ व जहां विद्यालय संचालित था, वहीं पर निर्माण कार्य करवाया गया था? यदि हां, तो विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा इसका कितना निर्माण कार्य करवाया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के इस विद्यालय के संबंध में एसबीसी रिट संख्या 4714/02 में दिये निर्णय दिनांक 5 फरवरी, 2004 के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया गया?

(4) क्या यह भी सही है इस विद्यालय निर्माण के दौरान वहां के भूतपूर्व सरपंच द्वारा भी लड़ाई झगड़ा तथा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में एफ.आई.आर. संख्या 30/07 पुलिस थाना पीलवा में दर्ज कराई गई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार उक्त के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में थाना पीलवा में मुस्तगीस श्री मोडूराम पुत्र देवकरण जाट निवासी खातियों की ढ़ाणी (जावला) की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 89/07 धारा 143, 336 379 भा.द.सं. व 3 पीडीपीपी एक्ट दर्ज किया गया। प्रकरण में 5 मुल्जिम गिरफ्तार किये गये एवं 8 मुल्जिमों ने अग्रिम जमानता करवा ली। वर्तमान में प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(2) जी हां। विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा दो बड़े हॉल, एक कमरा एवं बरामदा हेतु तीन पिलर्स का निर्माण 11 फुट की ऊंचाई तक किया हुआ था।

(3) जी हां।

(4) यह प्रकरण भूतपूर्व सरपंच द्वारा लड़ाई-झगड़ा का नहीं है। अपितु विद्यालय के निर्माण के दौरान अन्य अभियुक्तगण धन्नाराम पुत्र झुवाराराम, चोलाराम पुत्र पुसाराम व घासीराम पुत्र भांगूराम जातियान जाट निवासीयान जावला वगैराह द्वारा मुस्तगीस भंवराराम पुत्र तेजाराम जाट निवासी खातियों की ढाणी के साथ मारपीट कर काम बन्द करवाने का है। भूतपूर्व सरपंच द्वारा लड़ाई का मामला संज्ञान में नहीं है। मुकदमा नं. 30/07 धारा 143, 341, 323, 379 भादसं. थाना पीलवा पर दिनांक 30.3.2007 को दर्ज हुआ था, जिसमें बाद अनुसंधान मुल्जिम धन्नाराम, चोलाराम व घासीराम के विरुद्ध 57 दिनांक 7.9.2007 को धारा, 341, 323, 34 भादसं. में चालान न्यायालय में पेश किया गया।

नागौर जिले में एनीकट निर्माण पर व्यय

167. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा नागौर जिले में वर्ष 2004 से अब तक कितने एनीकटों का निर्माण करवाया गया? इस हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से किस-किस एनीकट हेतु स्वीकृत की गई? उक्त एनीकटों का निर्माण किस-किस संवेदक द्वारा कब-कब करवाया गया? विवरण विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत चार वर्षो में नागौर जिले में सरकार द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन विभाग द्वारा नागौर जिले में वर्ष 2004 से जनवरी, 2008 तक वाट्रर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजना में 164 एनिकट स्वीकृत किये गये। विधान सभा क्षेत्रवार, स्वीकृत कार्य, राशि, मद व संवेदक के नाम का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जांच में रोहिन्डी एवं पीह एनिकटों के निर्माण कार्यों में त्रुटि पाई गई। रोहिन्डी एनीकट के त्रुटिपूर्ण कार्य को संवेदक से पुनः दुरुस्त करवा लिया गया तथा पीह एनीकट के त्रुटिपूर्ण कार्य को संवेदक के खर्चे पर सही करवा लिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता

168. श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादियों के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है? यदि हां, तो इस आर्थिक सहायता के मानदण्ड एवं नियम क्या हैं?

(श्री जुबेर खान)

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे प्रकरण लम्बे समय से लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरण? विवरण वर्षवार एवं जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त प्रकरणों को कब तक निष्पादित कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। आर्थिक सहायता के मानदण्ड एवं नियम की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2006-07 के समस्त पत्र प्रकरणों का भुगतान कर दिया गया है केवल चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के प्रक्रियाधीन प्रकरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रक्रियाधीन प्रकरणों को शीघ्र ही निष्पादित कर दिया जाएगा।

(नियम की प्रति एवं सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

संविदा पर नियुक्त पैरामेडिकल चिकित्सक/कार्मिकों को नियमित नियुक्ति

169. श्री रामचनद्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भविष्य में संविदा नियुक्तियों पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 933 चिकित्सक, 35 सहायक रेडियोग्राफर एवं 528 लैब टैक्नीशियन संविदा पर कार्यरत है।

(2) विभाग द्वारा राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 तथा राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 2008 बनाये हैं। इन नियमों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेगी। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों में से जो उपयुक्त एवं पात्र होंगे, उनकी नियुक्ति इन नियमों के अन्तर्गत की जा सकेगी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) राज्य सरकार में नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों के अनुसार की जाती हैं।

रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति तत्काल सम्भव नहीं होने पर, आवश्यक अस्थाई आधार पर ही नियुक्ति की जा सकती है। कुछ विशेष प्रकृति एवं अल्प अवधि के कार्यों हेतु सेवा संविदा के आधार पर कार्य राज्य सरकार की पूर्वानुमति से कराया जा सकता है। ऐसी सेवा संविदा नियुक्ति की परिभाषा में नहीं आती हैं।

रानीखेड़ा-मण्डलाचारण-नारेला (चित्तौड़गढ़) क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

170. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेडा तहसील के अन्तर्गत खनिज विभाग द्वारा रानीखेड़ा से मण्डलाचारण-नारेला तक 9 किलोमीटर माइन्स एप्रोच सड़क का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो इसका निर्माण कब व किस वर्ष में हुआ तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या उक्त सड़क के निर्माण के पश्चात् इसके रख-रखाव एवं पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किसी विभाग या ठेकेदार को सौंपी गई थी? यदि हां, तो निर्माण के पश्चात इस सड़क के रख-रखाव व पुनर्निमाण (नवीनीकरण) पर कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उपरोक्त सड़क अनेक जगह से टूटी होने के कारण दयनीय स्थिति में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का जनहित में शीघ्र नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निम्बाहेड़ा से नारेला वाया रानीखेड़ा 9 कि.मी. सड़क का निर्माण करवाया गया था। उक्त निर्माण कार्य वर्ष 1996-97 से 1997-98 तक करवाया गया था। इस सड़क कार्य पर कुल व्यय 68.49 लाख किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उक्त सड़क से खनिज वाहनों का आवागमन बहुत कम होने से खनिज विकास की दृष्टि से उपयोगी नहीं होने से नवीनीकरण प्रस्तावित नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न कम्पनियों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में आबंटित भूमि

269. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में स्पेशल इकोनोमिक जोन के अन्तर्गत किन-किन कम्पनियों को कहां-कहां किस दर पर कितनी भूमि आबंटित की गई तथा उक्त भूमि की कीमत कितनी-कितनी निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड को जयपुर की सांगानेर तहसील में 1000 एकड़ सरकारी भूमि डी.एल.सी. दर पर आबंटित की गयी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 2000 एकड़ खातेदारी भूमि अवाप्त कर आबंटित की है जिसके लिए कम्पनी से 285 करोड़ रुपये लिये गये हैं।

जैनपेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) लिमिटेड को 25 एकड़ सरकारी भूमि ग्राम जामडोली, जिला जयपुर में डी.एल.सी.दर पर आबंटित की गयी है।

टिब्बी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य-योजना

270. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के कई स्थानों पर फ्लोराइड युक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो उक्त चकों, ढाणियों एवं गांवों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार फ्लोराइड युक्त क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, टिब्बी के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले की 4 तहसीलों के 89 गांवों में उपलब्ध भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा मानक मात्रा 1.5 पी.पी.एम. से अधिक है। विवरण निम्नानुसार है :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तहसील	फ्लोराइड मात्रा (मिलीग्राम/लीटर)			
	1.5 से 3.0 तक	3.0 से अधिक 5.0 से कम	5.0 से अधिक	कुल प्रभावित ग्राम
हनुमानगढ़	2	1	0	3
टिब्बी	16	7	7	30
रावतसर	19	6	28	53
नोहर	3	0	0	3
योग	**40**	**14**	**35**	**89**

ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट– 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार फ्लोराइड प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' एवं ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा क्षेत्र की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

271. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक पेयजल संबंधी क्या-क्या कार्य कहां-कहां कितनी राशि के व किस मद में कराये गये? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक कितने नये हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये उनमें से कितने हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां खराब हैं? खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चालू व आगामी वर्षों में पेयजल संबंधी क्या-क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु 1 जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 तक विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं कराये गये कार्यों का राशि सहित संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्ड पम्प तथा नलकूपों का विवरण निम्न प्रकार है :-

हैण्डपम्प		**नलकूप**	
स्वीकृत	**लगाये गये**	**स्वीकृत**	**लगाये गये**
655	614	74	64

(3) विवरण निम्न प्रकार है :-

कुल स्थापित हैण्ड पम्प	1677
वर्तमान में क्रियाशील हैण्ड पम्प	1262
मरम्मत योग्य खराब हैण्ड पम्प (दिनांक 1.2.2008 की स्थिति)	167
सूखे एवं नकारा हैण्ड पम्प	248

ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' में निहित है।

विभाग द्वारा 33वें विशेष हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान (1 दिसम्बर, 2006 से 15 जुलाई, 2007 तक) के दौरान उक्त क्षेत्र के गांवों में मरम्मत योग्य खराब पाये गये कुल 524 हैण्डपम्पों को सुधारा गया।

दिनांक 1 फरवरी, 2008 से प्रारम्भ 34वें विशेष हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत सर्वेक्षण में अब तक मरम्मत योग्य खराब पाये गये 167 हैण्ड पम्पों में से 38 हैण्ड पम्प सुधारे गये हैं एवं अभियान के अन्तर्गत सुधारने का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत प्रगति पर है।

(4) (अ) विधान सभा क्षेत्र, फुलेरा के शहरी क्षेत्र हेतु राशि रुपये 7.23 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु राशि रुपये 2.57 करोड़ के पेयजल संबंधी करवाये जा रहे कार्यों की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ग' पर उपलब्ध है।

(ब) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की तहसील फुलेरा के समस्त 218 गांव बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण में सम्मिलित हैं। योजना के कार्य प्रगति पर हैं। उक्त परियोजना से इन समस्त गांवों में मानक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मात्रा एवं गुणवत्ता का पेयजल माह दिसम्बर, 2009 तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

240 दिवस कार्य करने वाले व्यक्तियों का नियुक्ति प्रकरण

272. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 240 दिन कार्य पूर्ण करने पर हटाये गये कर्मचारी, जिनके न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं, विभागीय समझौते के तहत पुनः सेवा में लेने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को सेवा में लेने के आदेश कब तक जारी करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फरवरी, 2005 में ऐसे 29 व्यक्तियों के नामों की सूची जारी की गई थी, परंतु आज तक उक्त मामले में कार्यवाही नहीं की गयी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सूची में विधान सभा क्षेत्र, मेड़ता के पांच व्यक्ति क्रम संख्या 22 से 26 तक अंकित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को पुनः सेवा मे लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नीतिगत निर्णय अनुसार समझौते के अन्तर्गत 29 श्रमिकों के प्रकरण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं।

(2) उपरोक्तनुसार।

(3) जी हां, उपरोक्तानुसार।

टोडारीजवास (कठूमर) ग्राम की पेयजल योजना से वंचित ग्राम

273. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम व तहसील स्तर पर हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कितने व कब-कब व कहां-कहां? जनवरी, 2008 तक कितने हैण्ड पम्प किस-किस ग्राम व तहसील स्तर पर कहां-कहां पर लगवाये गये?

(श्री रमेश खीचीं)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में ग्राम टोडारीजवास पेयजल स्कीम स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत ग्राम वासियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया? यदि हां, तो किस-किस ग्राम व ढाणियों को तथा उक्त स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौनसे ग्राम व ढाणी अभी तक वंचित रहे हैं? अब उन्हें कब तक पेय जल उपलब्ध करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004 से 2007 में विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांवों में आवश्कतानुसार 652 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाकर जनवरी, 2008 तक लगाये गये 376 हैण्डपम्पों का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	तहसील कठूमर		तहसील लक्ष्मणगढ़	
	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	स्वीकृत	कार्य पूर्ण
2004	25	25	27	27
2005	77	65	14	13
2006	306	195	56	43
2007	133	8	14	0
योग	**541**	**293**	**111**	**83**

विभिन्न गांवों में स्थानवार लगाये गये हैण्ड पम्पों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपल्बध है।

(2) जी नहीं अपितु, तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम टोडा एवं रींझवास क्षेत्रीय जल योजना क्रमशः टोडा-टेंटपुर एवं जटवाड़ा-रींझवास के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। योजनाओं की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्षेत्रीय जल योजना	स्वीकृत माह/ वर्ष	स्वीकृत राशि रुपये
टोडा-टेंटपुर	7/1996	23.41
जटवाडा-रींझवास	7/1996	26.29

(3) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है)

अर्पित नगर जयपुर हेतु पेयजल योजना

274. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की गांधी पथ, वैशाली नगर स्थित आवासीय योजना अर्पित नगर में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं होने से निवासियों को भारी असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार की पेयजल सप्लाई की कोई योजना विचाराधीन है व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के तहत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइन बिछाई गई है? यदि हां, तो उक्त पाइप लाइन अर्पित नगर की किस गली में बिछाई गई है व उस पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पाइप लाइन किस योजना के तहत बिछाई गई व उसकी परियोजना रिपोर्ट, लागत, स्वीकृत बजट तथा अब तक किये गये कार्य व शेष कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब कब तक उक्त सम्पूर्ण कालोनी को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2000 में किये गये सर्वेक्षण अनुसार वैशाली नगर के समीप गांधी पथ स्थित आवासीय योजना, अर्पित नगर में बिछाई गई पाइप लाइन से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

उक्त क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत भाग में वर्तमान में खेती हो रही है तथा तारबन्दी की हुई है।

(2) जी हां। उक्त कालोनी में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बिछाई गई पाइप लाइन पर रुपये 1.09 लाख की राशि व्यय हुई। मानचित्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त पाइप लाइन आर.यू.आई.डी.पी. के वाटर सप्लाई पैकेज संख्या जेएआई/डब्ल्यू.एस./14 स्वीकृत राशि रुपये 1089.04 लाख के तहत बिछाई गई है। उक्त पैकेज के कार्यों हेतु कार्यादेश दिनांक 01.11.2002 के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तहत कार्य प्रारम्भ कर कार्य दिनांक 24.08.2006 को पूर्ण किया जा चुका है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) उपरोक्तानुसार स्वीकृति अनुरूप योजना पूर्ण की जा चुकी है। उक्त कार्य पश्चात् आंशिक विकसित भाग में सहभागिता योजना के अन्तर्गत नियमानुसार सहभागिता राशि जमा कराने के उपरांत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा एवं बून्दी जिले के प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पट्टे

275. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही कि चरागाह भूमि, आम रास्ते आदि में खनन पट्टे जारी किये जाने पर प्रतिबंध है? यदि हां, तो इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कोटा एवं बून्दी में आम रास्ते, राज्य राज मार्ग तथा राष्ट्रीय राज मार्ग आदि प्रतिबन्धित स्थानों को सम्मिलित किये जाकर भी खनन पट्टे जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो प्रतिबन्धित क्षेत्रों की भूमि को खनन पट्टे में सम्मिलित करने के क्या-क्या कारण रहे तथा ऐसा किस नियम के तहत किया गया? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त से संबंधित खनन पट्टे जारी किये जाने में रही कमियों एवं अनदेखी हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। चरागाह भूमि, आमरास्ते आदि में खनन पट्टा आबंटन करने पर प्रतिबंध नहीं है। चारागाह भूमि में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.12.94 एवं 21.2.06 के तहत जिला कलक्टर/सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर खनन पट्टे स्वीकृत करने का प्रावधान है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के नियम 18/26 के तहत आम रास्ते इत्यादि से 45 मी. की दूरी छोड़कर खनन कार्य करने का प्रावधान है। नियमों

(खनिज मंत्री)

एवं परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जिला कोटा व बून्दी में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के नियम 4 में वर्णित प्रतिबंधित स्थानों को सम्मिलित करते हुए कोई खनन पट्टा आबंटन नहीं किया है, परन्तु आम रास्ते, राज्य राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल करके खनन पट्टे नियमानुसार स्वीकृत हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(3) उक्त से संबंधित खनन पट्टों को स्वीकृत करने में नियमों की अनदेखी नहीं की गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले के खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व

276. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में वर्ष 1999 से अब तक कितने खनन पट्टे कब-कब जारी किये गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें। इन पट्टों को जारी करने पर सरकार को कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई?

(2) गत चार वर्षों में नागौर जिले की किन-किन खानों के विरुद्ध कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर की कई खानों के विरुद्ध की गई शिकायतें सही पाई गई? यदि हां, तो उन खानों के लाइसैंसधारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा खनिज से प्राप्त आय से जिला नागौर में गत चार वर्षों में क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में स्थापित खनि अभियन्ता नागौर, खनि अभियन्ता मकराना एवं सहायक खनि अभियन्ता गोटन कार्यालयों के संबंध में वर्ष 1999 से अब तक स्वीकृत खनन पट्टे एवं उनसे प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :-

(खनिज मंत्री)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष 1999 से अब तक स्वीकृत खनन पट्टे	वर्ष 1999 से अब तक स्वीकृत खनन पट्टों से प्राप्त आय (लाखों में)
1	ख. अ. नागौर	140	325.40
2	ख. अ. मकराना	87	12.20
3	स. ख. अ. गोटन	103	186.31
कुल		**330**	**523.91**

(2) उपरोक्त तीनों कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1999 से अब तक खनि अभियन्ता नागौर में स्वीकृत खनन पट्टों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-ए-1 पर संलग्न है। खनि अभियन्ता, मकराना की सूची परिशिष्ट ए-2 पर एवं सहायक खनि अभियन्ता, गोटन की सूची परिशिष्ट ए-3 पर संलग्न है।

गत 4 वर्षों में खनि अभियन्ता, नागौर के कार्यक्षेत्र में खनन पट्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही परिशिष्ट-बी-1 पर संलग्न है। खनि अभियंता, मकराना के कार्यक्षेत्र में खनन पट्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट बी-2 पर संलग्न है एवं सहायक खनि अभियंता, गोटन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में खनन पट्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-बी-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, परबतसर की 2 खानों के विरुद्ध की गई शिकायतें सही पाई गई। इन खानों के लाइसैन्सधारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-सी पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व आय राज्य सरकार के राजस्व मद 0853- अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग में जमा की जाती है। राज्य सरकार इस प्रकार की आय से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करवाती है। नागौर जिले में आयोजना मद में उपलब्ध कराये बजट द्वारा सड़क एवं आवासीय भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में सड़क पर 84.83 लाख रुपये व्यय कर 8.8 कि.मी. गोटन-पुन्दुलू-बोरून्दा सड़क का निर्माण किया जा चुका है एवं विभागीय खनि अभियन्ता कार्यालय भवन के निर्माण में अब तक 31.97 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक हेतु कार्य-योजना

277. श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर, कोटा में अपहरण, चोरी व लूटपाट की काफी घटनायें आये दिन होती हैं?

(2) क्या यह सही है कि नौजवान बच्चे-बच्चियां अक्सर अपने मुंह ढककर, चश्मा लगाकर सड़कों पर घूमते हैं? यदि हां, तो क्या इससे असामाजिक घटनायें होती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनको मुंह ढककर चलने से रोकने हेतु नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार चार पहिया वाहनों पर लगी रंगीन फिल्म को हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। कुछ बच्चियां मुंह ढ़क कर निकलती हैं।

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। इस बाबत प्रेस विज्ञप्ति से प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार देकर आमजन को जानकारी दी जा कर, उन्हें स्वयं फिल्में हटाने के लिए सावचेत किया गया। तदन्तर 11.2.2008 से चैकिंग की जाकर फिल्में हटायी जा रही है।

हाडौती सम्भाग में विद्युत ट्रांसफार्मर/तारों की चोरी के दर्ज प्रकरण

278. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हाड़ौती सम्भाग के जिलों में वर्ष 2007-08 में ट्रासफार्मर के तांबा, तेल व विद्युत तारों की चोरी के कुल कितने प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हुए? कितने प्रकरणों में मुल्जिम गिरफ्तार करके चालान पेश किये गये तथा कितने प्रकरण उजागर नहीं हो सके? थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युत चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों व अन्य खरीददारों के विरुद्ध पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत चोरी की घटनाओं में हाड़ौती में लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो इसको रोकने हेतु क्या पुलिस द्वारा पृथक्

(गृह मंत्री)

से विद्युत थाना खोलने से कोई सार्थक परिणाम सामने आये हैं? यदि नहीं, तो पृथक् से विद्युत थाना खोलने का क्या औचित्य था?

उत्तर

(1) हाड़ौती सम्भाग के जिला कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ में 1 अप्रैल, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक ट्रांसफार्मरों के तांबा, तेल व विद्युत तारों की चोरी के कुल 136 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हुए। इनमें से 41 प्रकरणों में मुल्जिम गिरफ्तार कर चालान पेश किये गये तथा 74 प्रकरणों में मुल्जिमानों का पता नहीं लगने के कारण उजागर नहीं हो सके हैं। थानावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विद्युत चोरी उपकरण, तार आदि का माल खरीदने वाले कबाड़ियों व अन्य खरीददारों के जिला कोटा शहर में 9 व्यक्तियों, बारां में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 411 भा.द.स. में कार्यवाही कर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं।

(3) जी हां। हाड़ौती में विद्युत चोरी के प्रकरण उजागर होने की संख्या में वृद्धि हुई है। विद्युत थानों की स्थापना से अधिक चोरी के मामले पकड़े गये हैं। अब तक विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना कोटा व बारां में कुल 868 विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये। इस प्रकार विद्युत चोरी पर अंकुश लगने के सार्थक परिणाम सामने आये हैं, जिनमें 111 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई व 45.58 लाख प्रशमन राशि सरकार को प्राप्त हुई।

परिशिष्ट 'अ'

1 अप्रैल, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक विद्युत ट्रांसफार्मर के तेल व तांबा चोरी तथा विद्युत तारों की चोरी के दर्ज प्रकरणों की स्थिति

जिला कोटा शहर :-

नाम थाना	कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या	कितने प्रकरणों में चालान किये गये	कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये	कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमवकु	कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमपता	कितने प्रकरण जैर तप्तीश
दादाबाडी	01	01	03	–	–	–
रेलवे कालोनी	01	–	–	–	01	–
उद्योगनगर	06	01	01	–	04	01
महावीर नगर	01	–	–	–	01	–
योग	**09**	**02**	**04**	**–**	**06**	**01**

जिला कोटा ग्रामीण :-

नाम थाना	कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या	कितने प्रकरणों में चालान किये गये	कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये	कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमवकु	कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमपता	कितने प्रकरण जैर तप्तीश
सुल्तानुपर	1	–	–	–	–	1
रामगंजमण्डी	2	–	–	–	1	1
सुकेत	4	2	3	–	–	2
मोड़क	1	–	–	–	1	–
सांगोद	1	–	–	–	1	–
कनवास	2	–	–	–	2	–
बपावर	1	1	2	–	–	–
मंडाना	2	–	–	1	1	–
कैथून	4	1	3	–	2	1
सीमलिया	1	1	4	–	–	–
योग	**19**	**5**	**12**	**1**	**8**	**5**

जिला बून्दी :-

नाम थाना	कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या	कितने प्रकरणों में चालान किये गये	कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये	कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमवकु	कितने प्रकरण एफ.आर. अदमपता	कितने प्रकरण जैर तप्तीश
कोतवाली	3	1	1	–	2	–
सदर	2	–	–	–	2	–
तालेड़ा	2	2	8	–	–	–
डाबी	3	1	6	–	2	–
के. पाटन	10	5	10	–	5	–
कापरेन	3	–	–	–	3	–
लाखेरी	3	1	4	–	2	–
इन्द्रगढ़	5	3	3	–	2	–
गेंडोली	5	–	–	–	3	2

1	2	3	4	5	6	7
नैनवां	2	–	–	–	1	1
देई	3	–	–	–	3	–
डबलाना	2	–	–	–	2	–
हिण्डौली	1	–	–	–	–	1
बसौली	1	–	–	–	1	–
योग	**45**	**13**	**32**	**–**	**28**	**4**

जिला बारां :-

नाम थाना	**कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या**	**कितने प्रकरणों में चालान किया गया**	**कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये**	**कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमवकु में दी गई**	**कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमपता में दी गई**	**कितने प्रकरण जैर तप्तीश रहे**
अन्ता	3	1	2	□	2	□
सीसवाली	5	3	3	□	1	1
मांगरोल	1	□	□	□	1	□
छबड़ा	7	1	6	□	5	1
छीपाबडौद	7	1	6	□	5	1
बापचा	1	1	2	□	□	□
हरनावदा	3	□	□	2	1	□
कवाई	1	□	□		1	□
अटरू	6	3	6	1□	2	□
मोठपुर	2	2	4	□	□	□
केलवाड़ा	1	□	□	□	1	□
भंवरगढ़	1	1	2	□	□	□
योग	**38**	**13**	**31**	**3**	**19**	**3**

जिला झालावाड़ :-

नाम थाना	**कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या**	**कितने प्रकरणों में चालान किये गये**	**कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये**	**कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमवकु में दी गई**	**कितने प्रकरणों में एफ.आर. अदमपता में दी गई**	**कितने प्रकरण जैर तप्तीश रहे**
पिडावा	1	0	0	0	1	0
बकानी	3	1	1	0	2	0
रायपुर	3	0	0	0	1	2
असनावर	2	1	1	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7
टकलेरा	2	1	1	0	1	0
मनोहरथाना	1	0	0	0	1	0
जावर	2	0	0	0	1	1
खानपुर	2	1	2	0	0	1
मंडावर	2	0	0	0	2	0
भवानीमंडी	1	1	2	0	0	0
सुनेल	1	1	5	0	0	0
मिश्रौली	3	1	1	0	2	0
पगारिया	2	1	2	0	1	0
योग	**25**	**8**	**15**	**0**	**13**	**4**

नारायणी धाम (अलवर) के मेले पर प्रतिबन्ध

279. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सैन (नाई) समाज नारायणी धाम (अलवर) के मेले पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर तथा क्यों व कब से?

(3) क्या सरकार उक्त मेले से प्रतिबन्ध हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान सती (निवारण) अध्यादेश, 1987 को लागू करने हेतु अध्यादेश के अनुच्छेद 6(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 09.10.87 के द्वारा अलवर जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा सती होने के किसी भी रीति से किये जाने वाले गौरवान्वयन को प्रतिषेध किया। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सती निवारण अधिनियम, 1987 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-3) प्रचलित किये जाने पर इसको लागू किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर द्वारा इस अधिनियम की धारा 6(2) के तहत जारी आदेश दिनांक 06.08.1988 द्वारा अलवर जिले के समस्त क्षेत्रों में किसी व्यक्ति

(गृह मंत्री)

या व्यक्तियों के समूह अथवा संस्था द्वारा सती-कर्म के किसी रीति से गौरवान्वयन को प्रतिषेध किया गया।

(2) अलवर (नारायणीधाम सहित) जिले के अतिरिक्त राज्य के सीकर एवं झुन्झुनूं जिलों में स्थित सती-स्थलों पर सती कर्म के किसी भी रीति से गौरवान्वयन को प्रतिषेध किया गया।

सती निवारण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-3) के प्रभावी होने पर सती कर्म के किसी भी रीति से गौरवान्वयन एवं सती महिमा-मण्डन की रोकथाम हेतु किसी प्रकार का कृत्य नहीं होने देने के उद्देश्य से पूरे राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा संस्था द्वारा सती कर्म के किसी रीति से गौरवान्वयन को प्रतिषेध किया गया है। इस हेतु अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधात्मक आदेश प्रतिवर्ष प्रचलित किए जाते हैं।

(3) जी नहीं। सती निवारण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-3) के प्रभावी होने पर सती कर्म के किसी भी रीति से गौरवान्वन को प्रतिषेध किया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

280. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) एवं **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आय से अधिक सम्पत्ति रखने एवं सरकारी दस्तावेजों में हेरा-फेरी करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अधिकारियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो दर्ज प्राथमिकी की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत एक वर्ष (वर्ष 2007) में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 6 अधिकारियों के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने के आरोपों पर शिकायत प्राप्त हुई, जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों पर चार अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गयी जिसकी सूचना परिशिष्ट 'क' में क्रम सं. 1 व 2 पर अंकित है।

परिशिष्ट 'क'

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2007 के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध/प्राथमिक जांच/परिवाद की सूची

क्र.सं.	अपराध/प्राजां/परिवाद	विरूद्ध
	अपराध	
1	अ.सं. 8/07 अन्तर्गत धारा 13(1) (डी) (2) भ्र.नि.अधि. 1988 एवं 120 बी भादस	श्री रजनीकांत कानूनगो, सहायक अभियंता, श्री कैलाश कुमार गंगल, कनिष्ठ अभियंता, श्री जी.एल. अरोड़ा, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोडारायसिंह जिला टोंक।
2	अ.सं. 9/07 अन्तर्गत धारा 13(1) (डी) (2) भ्र.नि.अधि. 1988 एवं 120 बी भादस	श्री रजनीकांत कानूनगो, सहायक अभियंता, श्री कैलाश कुमार गंगल, कनिष्ठ अभियंता, श्री रामकिशोर वर्मा कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोडारायसिंह जिला टोंक।
	प्राथमिक जांच	
3.	60/2007	श्री सत्य प्रकाश जैन, वैज्ञानिक (निलम्बित) गुण नियंत्रण खण्ड-प्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
	परिवाद	
4	263/2007	श्री आर.एस. सक्सैना अधीक्षण अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

बी.एस.एफ. की भर्ती के दौरान मृत/घायलों को मुआवजा

281. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 11 फरवारी, 2008 को जयपुर शहर में बी.एस.एफ. की भर्ती के दौरान आये हुए छात्रों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कोई उत्पात किया गया? यदि हां, तो उत्पाद होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, उसमें एक विदेशी की भी मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी हुये? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मृतक एवं घायलों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उपरोक्त हादसे के संबंध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

उत्तर

(1) दिनांक 11.2.08 को जयपुर शहर में बी.एस.एफ. की भर्ती न होकर सी.आई.एस.एफ. की भर्ती थी। दिनांक 11.2.2008 को भर्ती के दौरान उत्पात होने के निम्न कारण संज्ञान में आये है :-

1. अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थी आये एवं अभ्यर्थियों की जमा भीड़ द्वारा जोर से धक्का लगाये जाने पर कुछ अभ्यर्थी भीड़ में गिर गये, जिससे अफरा-तफरी मच गयी।
2. सी.आई.एस.एफ. अधिकारियों द्वारा संभावित अभ्यार्थियों का सही आकलन न कर सके थे।
3. सी.आई.एस.एफ. अधिकारियों द्वारा कोई बैरिकेड्स, रस्से आदि की व्यवस्था नहीं की गई थी।

(2) जी हां, एक अभ्यार्थी श्री रामजीलाल पुत्र श्री बनवारी लाल, उम्र-21 वर्ष, निवासी-किशोरपुरा, थाना-गुडा गोढजी, जिला-झुंझुनूं की मृत्यु हुई एवं निम्न तीन अभ्यार्थी घायल हुए:-

1. श्री अमीत कुमार पुत्र श्री भीमसिंह यादव, उम्र-19 वर्ष, निवासी-चरकीदादरी, हरियाणा

(गृह मंत्री)

2. श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री रामकुमार, निवासी-जोधा का बास, चिडावा, झुन्झुनूं
3. श्री जीवनराम पुत्र श्री भंवरसिंह, निवासी-चैनपुरा, दातली, जिला-सीकर

जिनमें सुधीर कुमार एवं जीवनराम को बाद उपचार भिजवा दिया गया। इस घटनाक्रम में किसी विदेशी की मृत्यु नहीं हुई। अपितु दिनांक 11.2.08 को ही पुलिस लाइन से एस.टी.एफ. का पुलिस जाप्ता लेकर जा रहे एक वाहन के अचानक ब्रेक फेल होने के कारण सड़क क्रोस कर रहे विदेशी नागरिक माइकल निवासी बेल्जियम की टक्कर लगने से मौके पर मृत्यु हो गई एवं उसकी पत्नी को चोटें आई।

(3) जी नहीं। घटना केन्द्रीय संगठन से संबंधित है।

(4) अभियोग पंजीबद्ध कर लिया गया है।

केन्द्रीय कारागार, बीकानेर के निर्माण पर व्यय

282. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर केन्द्रीय जेल के निर्माण के लिए कितनी राशि व्यय की गई? इस जेल के निर्माण में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के भवन निर्माण में तीन चरणों में 20 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।व्यय का बयौरा निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
1.	2002-2003	697.00
2.	2003-2004	775.00
3.	2004-2005	528.00
	योग	2000.00

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के भवन निर्माण पर व्यय राशि 20.00 करोड़ के अन्तर्गत 15.00 करोड़ केन्द्र सरकार एवं 5.00 करोड़ राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण मंच के सदस्यों का मानदेय

283. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण मंच के सदस्यों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, विभाग द्वारा राज्य आयोग/जिला मंचों के सदस्यों को वर्तमान में मानदेय क्रमशः 5000/-रु. 3500/-रु. दिया जा रहा हैं, को बढ़ाये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

उप स्वास्थ्य केन्द कानूजा (पाली) के दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही

284. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के रायपुर तहसील के ग्राम कानूजा के उपस्वास्थ्य केन्द्र में जननी सुरक्षा योजना लागू होने से अब तक किन-किन महिलाओं की कब-कब प्रसूति कराई गई तथा उन्हें कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपस्वास्थ्य केन्द्र कानूजा में नियुक्त चिकित्सक के विरुद्ध जननी सुरक्षा योजना की सहायता राशि का भुगतान नहीं करने तथा अनियमितता के सम्बन्ध में ग्रामीणों एवं उप सरपंच सेन्दड़ा द्वारा स्वास्थ्य चेतना यात्रा के दौरान ग्राम कानूजा, सेन्दड़ा, झाला की चौकी में शिकायत की गई थी? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी पाये गये चिकित्सक के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले के रायपुर तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानूजा के अधीन स्वास्थ्य केन्द्रों पर जननी सुरक्षा योजना लागू होने से 31 जनवरी, 2008 तक करवाये गये प्रसवों का एवं उनको भुगतान की गई राशि का अवधि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी नहीं। शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला चिकित्सालय सिरोही में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं

285. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सिरोही के जिला अस्पताल में आई.सी.यू. व सिटी स्केन सुविधा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सुविधा न होने से लोगों को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार शिवगंज के राजकीय अस्पताल की क्षमता 50 शैय्या करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला चिकित्सालय सिरोही में आई.सी.यू. शुरू कर दी गई है। आगामी वित्तीय वर्षों में जिला चिकित्सालयों को सिटी स्केन मशीन उपलब्ध करवाये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जिला चिकित्सालय, सिरोही के लिये सिटी स्केन मशीन उपलब्ध करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवगंज में स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2007 में मात्र 47.78 प्रतिशत उपयोग रहा है इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवगंज को 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में ट्रोमा यूनिट की स्थापना

286. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में ट्रोमा यूनिट कब से प्रारम्भ की गई एवं इस हेतु क्या-क्या उपकरण उपलब्ध कराये गये?

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) क्या यह सही है कि ट्रोमा, यूनिट में सरकार द्वारा सभी चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पद सृजित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में ट्रोमा इकाई खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई। उक्त ट्रोमा इकाई के लिये निदेशालय से उपकरण एवं रोगी वाहन उपलब्ध करवाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

रोगी वाहन/उपकरणों का विवरण	संख्या
रोगी वाहन	1
ऑक्सीजन सिलेण्डर	2
स्फिगोमेनोमीटर मरकरी	2
एम.टी.पी. सेक्शन अपरेटस डबल बोतल	2
सी.आर्म मशीन	1

इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के द्वारा 8.57 लाख रुपये के उपकरण, सर्जिकल आइटम तथा भवन की मरम्मत आदि के लिये व्यय किये गये।

(2) ट्रोमा यूनिट भीम के लिये आदेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2004 के द्वारा कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन) एवं ई.सी.जी. टैक्नीशियन के एक-एक पद स्वीकृत किये गये। शेष आवश्यक पद पूर्व से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में स्वीकृत है।

जैसलमेर जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

287. **श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों व उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 20 पद चिकित्सकों के एवं 138 पद कर्मचारियों के रिक्त हैं।

(2) पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

लैब टैक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा रखी है, रोक हटते ही पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

एम.पी.डब्ल्यू. प्रशिक्षण केन्द्र बन्द होने के कारण प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं है। इसलिए एम.पी.डब्ल्यू. के रिक्त पदों को वर्तमान में भरा जाना सम्भव नहीं है।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लोक सेवकों को राज्य से बाहर चिकित्सा परिचर्या हेतु स्वीकृत अग्रिम

288. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों, विधायकों तथा सांसदों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के बाहर रैफर किया जाता है? यदि हां, तो उक्त हेतु जारी दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006 से अब तक कितने मरीजों को उक्त चिकित्सा सुविधा हेतु रैफर किया गया? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सा हेतु सरकार द्वारा किन-किन मरीजों को कितनी अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई तथा अन्ततोगत्वा कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न कर दी गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) राज्य के मेडिकल कॉलेजों द्वारा जनवरी, 2006 से अभी तक 699 रोगियों को उपचार हेतु रैफर किया गया है। मरीजों का वांछित विवरण निम्नानुसार है :-

1.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर	(परिशिष्ट-2)
2.	जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर	(परिशिष्ट-3)
3.	डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर।	(परिशिष्ट-4)
4.	एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर।	(परिशिष्ट-5)
5.	आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर।	(परिशिष्ट-6)
6.	मेडिकल कॉलेज, कोटा।	(परिशिष्ट-7)

(3) प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार विवरण परिशिष्ट-8 के रूप में संलग्न है। नियमानुसार चिकित्सा हेतु अग्रिम स्वीकृत राशि का उपचार के बाद व्यक्गित समायोजना कराया जाना संबंधित कर्मचारी/अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील बसवा (दौसा) के वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित प्रकरण

289. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) तहसील बसवा जिला दौसा में कुल कितने वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तथा वृद्धावस्था पेंशन हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं?

(3) सरकार द्वारा लम्बित आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम परिवर्तित कर ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' कर दिया गया है एवं पूर्व में निर्धारित मानदण्डों के स्थान पर निम्नांकित एक मात्र मानदण्ड निर्धारित किया गया है :- 'बी.पी.एल. परिवार की 65 वर्ष या अधिक आयु की महिला एवं पुरुष।

(2) तहसील बसवा में कुल 1890 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तथा वृद्धावस्था पेंशन हेतु कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(3) कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

कपासन में पेंशन भुगतान के लम्बित प्रकरण

290. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन योजना के दिसम्बर, 2003 से अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितने स्वीकृत किए गये? कितने पी.पी.ओ. जारी किए गये व कितने आवेदकों को भुगतान किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में किस-किस उपकोष में पी.पी.ओ. जारी होने के बावजूद कितने आवेदकों को भुगतान किया जाना बकाया है? सूची आवेदक वार सदन की मेज पर रखें। भुगतान में देरी के लिये कौन जिम्मेदार है?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन योजना के दिसम्बर, 2003 से फरवरी, 2008 तक प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत आवेदन पत्रों एवं जारी किए गए पी.पी.ओ. की पंचायत समितिवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रखवा दी गई है। जिन आवेदकों के पी.पी.ओ. जारी हो चुके हैं उनमें से विधान सभा क्षेत्र कपासन के 24 पेंशन धारकों को छोड़ कर शेष सभी पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान किया जाना आरमभ कर दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन के 24 पेंशनर्स के प्रथम बार पेंशन हेतु कोषालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। आवेदकवार सूची परिशिष्ट-2 सदन के मेज पर रख दी गई है। भुगतान में देरी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

291. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 व 2007-08 में अनुसूचित जाति/

(श्री लक्ष्मी बारूपाल)

जनजाति के अध्ययनरत स्कूल स्तर व कालेज स्तर पर छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दे दी गई है? यदि हां, तो कब तक की व नहीं, तो अब कब तक छात्रवृत्ति दे दी जायेगी?

उत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति के स्कूल व कालेज स्तर के अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को वर्ष 2006-07 व 2007-08 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है। स्कूल स्तर की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का वर्ष 2007-08 एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का वर्ष 2006-07 व 2007-08 के भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को बजट आबंटित कर दिया गया है। कालेज स्तर की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में राजकीय शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2007-08 एवं निजी शिक्षण संस्थानों हेतु वर्ष 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को बजट आबंटित कर दिया गया है तथा छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। स्कूल स्तर की बकाया उत्तर मैट्रिक तथा कालेज स्तर की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान माह मार्च, 2008 तक करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

बीकानेर जिले के अग्नि पीड़ितों को मुआवजा

292. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अग्निकांड पीड़ितो को मुआवजा देने के मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 तक जिला बीकानेर में अनेक अग्निकांड पीड़ित लोगों ने मुआवजे हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस ने? इनमें से किन-किन को भुगतान कर दिया गया तथा किन-किन के प्रकरण लम्बित हैं? नामवार/स्थानवार/आवेदन तिथि/भुगतान तिथि/मुआवजा राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आग लगने एवं इसकी एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात मुआवजे हेतु आवेदन करने तथा आवेदन के बाद सहायता राशि स्वीकृत करने की कोई समय सीमा तय है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अग्नि पीड़ितों को मुआवजा देने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हुए हैं। राज्य में अग्नि पीड़ितो को मुआवजा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सी.आर.एफ. नोर्म्स के मानदण्ड के अनुसर दिया जाता है। जिसकी प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) 01.01.2004 से 31.01.2008 तक बीकानेर जिले में हुये अग्निकाण्ड से पीडित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, जिसका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2) जिले में दिनांक 31.01.2008 तक का कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बाली में सामाजिक सुरक्षा सहायता से वंचित व्यक्ति

293. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सामजिाक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पास विधान सभा क्षेत्र, बाली में विधवा, विकलांग, विक्षिप्तों, बेसहारा, अनाथ, मूक/बधिर, असाध्य रोगियों के नाम/पते की पंचायवार विवरण सूची उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त सभी आवश्यकतानुसार पीड़ितो को आर्थिक सहायता, पेंशन, शिक्षा, संरक्षण इलाज उपचार कराया जा रहा है? सहायता से वंचितों के नाम/पत्ते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि विधवा, विकलांग, विक्षिप्तों, बेसहारा, अनाथ, मूक/बधिर, असाध्य रोगियों के स्वयं के द्वारा या इनके संरक्षक द्वारा आवेदन करने पर ही इन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अतः पंचायतवार ऐसे लोगों के नाम/पत्ते की सूचना नहीं रखी जाती।

(2) उक्त श्रेणी के पीड़ितों को आवेदन करने पर सरकार की योजनाओं में लाभान्वित किये जाने के प्रयास किये जाते हैं। सहायता से वंचितों की सूची बनाने की व्यवस्था नहीं है।

झालावाड़ जिले की खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं में व्याप्त अनियमितताएं

294. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खादी ग्रामोद्योग की संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है? यदि हां, तो पंजीकृत खादी संस्थाओं की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में खादी ग्रामोद्योग की प्रमाणित संस्थाओं को खादी आयोग द्वारा उत्पादन बिक्री हेतु लक्ष्यांक निर्धारित किये जाते हैं? यदि हां, तो राज्य खादी संस्थाओं को राष्ट्रीय खादी आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यांक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई संस्थाओं ने निर्धारित लक्ष्यांक से अधिक माल खुले बाजार से खरीद कर कतीन बुनकरों का हक मारा तथा सरकार को भी लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया गया? यदि हां, तो किन संस्थाओं ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खादी संस्थाओं को दर्शाये गये लूमों व बुनकरों का सत्यापन कराया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2003 से अब तक किन-किन संस्थाओं का सत्यापन किया गया और उनमें से किन-किन में गड़बड़ी पाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विनोबा सेवा समिति के उत्पादन केन्द्र झालावाड़ ने केवल कागजों में बुनाई केन्द्र दर्शा रखे हैं? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था के दर्शाये गये केन्द्रों व बता रखे कतीन/ बुनकरों को मौके पर निरीक्षण कर सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य में खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं/समितियों का पंजीयन नहीं किया जाता है। संस्थाओं का खादी बोर्ड एवं खादी आयोग उनके द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं को सूचीबद्ध करते हैं। ऐसी कार्यरत संस्थाओं की जिलेवार सूची संलगन है। (परिशिष्ट-1)

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(2) जी हां। खादी आयोग द्वारा संस्थाओं के लक्ष्यांक निर्धारित किये जाते है। आयोग के जयपुर एवं बीकानेर स्थित कार्यालयों के कार्य क्षेत्र में कार्यरत खादी संस्था/समितियों हेतु वर्ष 2008-09 के लिये प्रस्तावित लक्ष्यांक निर्धारित कर स्वीकृति हेतु आयोग के प्रधान कार्यालय मुम्बई भेजे जा चुके हैं। (सूची संलग्न है) (परिशिष्ट-2)

(3) खादी संस्थाओं/समितियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यांक से अधिक माल खुले बाजार से खरीद करके कत्तनि बुनकरों एवं राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोई जानकारी खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड कार्यालय की संज्ञान में नहीं आई है।

(4) सामान्यतः खादी संस्थाओं में कार्यरत बुनकरों एवं लूमों का सत्यापन नहीं कराया जाता। खादी बोर्ड द्वारा खादी संस्थाओं को सरंजाम (जिसमें लूम भी शामिल है) क्रय हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कराते समय वर्ष 2003 से अब तक जिन संस्थाओं के द्वारा बोर्ड की राशि से क्रय किये गये सरंजाम का सत्यापन कराया गया उनकी सूची संलग्न है। इसमें कोई गडबडी नहीं पाई गई है। (परिशिष्ट-3)

(5) जी नहीं। विनोबा सेवा समिति, झालावाड़, खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार जयपुर कार्यालय की सीधी सूची में शामिल एवं वित्त पोषित तथा प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्था है। इसका सत्यापन आयोग द्वारा जनवरी, 07 में कराया गया जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। (परिशिष्ट-4)

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या-154 की प्रति)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

रजिस्ट्रार,

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जोधपुर।

क्रमांक पं. 1 (6)न्याय/89 जयपुर, दिनांक 7 अगस्त, 1993

विषय :- न्यायालय खोले जाने हेतु वादों की संख्या का मानदंड तथा नये न्यायालय खोले जाने के प्रस्तावों बाबत।

सन्दर्भ :- एस.बी. सिविल कन्टेन्ट पिटीशन सं. 211/90 पदमकुमार बनाम राज्य।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार निम्न मानदंड के अनुसार नये न्यायालय खोला जाना प्रस्तावित है :-

1. एम.जे.एम./ए.एम.जे.एम./जे.एम. 1700 से 2000 वाद
2. मुख्य न्यायिक/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1200 से 1500 वाद
3. जिला/अपर जिला न्यायालय 1000 से 1200 वाद

अतः कृपया इस संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत करावें कि दिनांक 10-6-93 को कहां-कहां कितने-कितने वाद लम्बित हैं तथा कितने न्यायालय कहां-कहां पहले से स्थापित हैं व उक्त कार्य के अनुसार कितने न्यायालय खोले जाने है।

कृपया उक्त सूचना अतिशीघ्र भिजवायें।

भवदीय,

ह./-

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

भीलवाड़ा शहर के लिये पेयजल पूर्ति हेतु

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शहर भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगर होकर इस शहर की वर्ष 2001 की जनसंख्या 2.80 लाख थी जो वर्तमान में लगभग 3.40 लाख है। जहां पेयजल की प्रतिदिन 340 लाख लीटर की मांग रहती है। इस मांग के विपरीत प्रतिदिन वर्तमान में 195 लाख लीटर जल विभिन्न स्रोतों से प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। इस पेयजल समस्या का दीर्घकालीन समाधान हेतु भीलवाड़ा से 55 किमी की दूरी पर यदि खाखून्दा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में सिंचाई विभाग द्वारा एक बांध का निर्माण करा दिया जाय तथा इससे शहर भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति की जावे। इस हेतु लगभग 211 करोड़ का व्यय का अनुमान होने का प्रस्ताव भी जलदाय विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस पर राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कराना अत्यावश्यक है। कृपया स्वीकृति दिलावें।

सुभाष चन्द्र बहेडिया
(भीलवाड़ा)

बौंली एवं बामनवास में नष्ट हुई फसल का किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली एवं बामनवास में वर्तमान में रबी की फसलें शीतलहर व पाले से 60 से 90 प्रतिशत नष्ट हो चुकी है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि गिरदावरी में राजस्व अधिकारी व कर्मचारी मनमर्जी से 25 से 30 प्रतिशत ही फसल नष्ट होने की रिपोर्ट कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता को छुपाकर फसल खराबा की रिपोर्ट कम करना किसानों के साथ सरासर अन्याय है। इस कारण दोनों उक्त तहसीलों के किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है। उक्त

दोनों तहसीलों में पुनः दुबारा से सर्वे करवाकर वास्तविक फसल खराब 60 से 90 प्रतिशत दर्ज कराकर फसल का उचित मुआवजा किसानों को दिलाने का कष्ट करें।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हीरालाल मीणा

(बामनवास)

कोटपूतली के ग्राम नारेहड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की ग्राम पंचायत नारेहड़ा में एक ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। इसके आसपास कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को ईलाज हेतु कोटपूतली के बी.डी.एम. अस्पताल जाना पड़ता हैं। जिससे बी.डी.एम. अस्पताल पर भी मरीजों का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। गांवों से अस्पताल की दूरी अत्यधिक होने के कारण मरीजों को प्राइवेट वाहन किराये पर कर अस्पताल जाना पड़ता है जो अत्यधिक खर्चीला तथा कष्ट साध्य है। नारेहडा तथा इसके आसपास लगने वाले 55 गांव हैं जिनकी आबादी लगभग 1.25 लाख है। नारहेडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के खुलने के से इन सभी के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। नारेहड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान भी है।

वर्तमान में नारेहड़ा में ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक वशिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, एक चिकित्सा अधिकारी, दो मेल नर्स ग्रेड-2, दो ब्लाक स्वास्थ्य सुपरवाइजर, एक संगणक, एक महिला स्वास्थ्य दर्षिका, दो प्रसाविका, एक लेब टेक्निशियन, तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व एक स्वीपर का पद स्वीकृत हैं। नारेहड़ा के ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अधिकारी सहित पैरामेडिकल स्टाफ को प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष अपने बजट में घोषणा की थी कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आवश्यक रूप से खोला जाएगा। कोटपूतली पंचायत समिति की 42 ग्राम पंचायतों में एक

भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। आम जनता की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं और दूर दराज पर स्थित अस्पताल तक नहीं पहुंच पाने की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए ग्राम नारेहडा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना नितान्त आवश्यक है।

मैं चिकित्सा मंत्र जी और माननीया मुख्य मंत्रीजी तथा सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली पंचायत समिति की 42 पंचायतों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के कारण वहां की चिकित्सकीय आवश्यकताओं को देखते हुए शीघ्र ही ग्राम नारेहड़ा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की महती आवश्यकता हैं।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्र की उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम नारेहड़ा पंचायत समिति कोटपूतली में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग करता हूं।

सुभाष चन्द्र शर्मा

(कोटपूतली)

तिजारा पालिका क्षेत्र में सम्पत्ति बेचान के पंजीयन पर आधा प्रतिशत उप कर हटाने के संबंध में

महोदय,

अलवर जिले की तहसील तिजारा मुख्यालय पर कस्बा तिजारा में नगर पालिका कार्यरत है। इस नगर पालिका क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध चन्द्र प्रभ जी का जैन मंदिर भी है। भृर्तहरी बाबा का ऐतिहासिक स्थान है। राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, आदि भी इसी तहसील के अन्तर्गत है। इस वजह से भी भारी तादात में पर्यटकों एवं औद्योगिक लोगों का आवागमन होता है। इस नगर पालिका की आर्थिक स्थिति दयनीय है। कार्यालय कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पाता। विकास की स्थिति तो दूर की बात है दैनिक सफाई का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। जबकि इस तहसील का राजस्व काफी आता है। लेकिन नगर पालिका क्षेत्र की आमदनी नहीं के बराबर है।

अतः इस नगर पालिका तिजारा को अपने क्षेत्र में सम्पत्तियों के बेचान

पंजीकरण पर आधा प्रतिशत नगर पालिका विकास कर के रूप में राज्य सरकार द्वारा स्थगित वसूली के आदेश रद्द कर पूर्व के आदेश बहाल रख कर वसूली जारी रखने के आदेश देने हेतु राज्य सरकार को निर्देश किये जाने हेतु निवेदन है।

एमामुद्दीन अहमद खान
(तिजारा)

माउण्ट आबू की सालगांव बांध परियोजना को लागू करने बाबत

मान्यवर,

निवेदन है कि, राजस्थान एक एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंटआबू, जिला सिरोही में स्थित है, जहां पर विदेशी व विशेष कर गुजराती, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत से लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक आते हैं। इस स्थान पर केन्द्र व राजस्थान सरकार के बड़े-बड़े विभाग जैसे सी.आर.पी.एफ. बी.ए.आर.सी., इण्डियन आर्मी एवं एयरफोर्स इत्यादि महत्वपूर्ण विभाग के कार्यालय स्थित हैं। यह एक ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटक स्थल है, जहां पर विश्व विख्यात स्थापत्यकला का नमूना देलवाड़ा जैन मंदिर, गुरू शिखर व अन्य धार्मिक आश्रम भी स्थित है।

माउंट आबू की पेयजल व्यवस्था हेतु सर्व प्रथम 1942 में तीन हजार गेलन पानी की क्षमता के साथ-साथ फिल्टर हाउस ''कोडार डेम'' से प्रारम्भ किया गया, जिसको 1953 में अपग्रेड किया गया। सन 1960 में आपातकालीन योजना बनायी व सन 1964 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को यह जल प्रदाय योजना सुपुर्द की गई। तब से नगर पालिका, माउंट आबू इसे संधारित कर रही है।

सन 1968-69 लगायत सन 2002 तक विभिन्न तरह की अपग्रेडेशन की योजनाएं बनी व आखिरकार 10.4.2002 को 151.96 लाख की योजना को पी.पी.सी. में दिनांक 18.7.2002 को स्वीकार किया गया।

माउंटआबू की पेयजल व्यवस्था अपर कोटडा एवं लोवर कोटड़ा डेम से आवश्यकता होने पर नक्की झील से की जा रही है। परन्तु भविष्य में बडी जनसंख्या में आने वाले पर्यटक माउंटआबू के पर्यटक व धार्मिक महत्व केन्द्र सरकार के विभिन्न सुरक्षा महकमों, सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को ध्यान में रखे तो कोटरा डैम से आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पेयजल की पूर्ति होना सम्भव नहीं है। नक्की झील से पेयजल की आपूर्ति पूर्ण की जा सकती है इन

सब विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोटरा डेम व नक्की झील से पानी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में बैठक 9.2.3007 में लिए गये निर्णय अनुसार 33.16 करोड़ की सालगांव बांध परियोजना जो राज्य सरकार के विचाराधीन है, को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार कर उसे लागू कर कार्यरूप में परिणित किया जाना अति आवश्यक है।

समाराम गरासिया

(पिंड़वाड़ा)

गंगरार की सड़कों के निर्माण एवं पुन: निर्माण के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निम्न अनुरोध मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए करना चाहूंगा :-

राज्य सरकार की घोषणा अनुसार मेरे विधान सभा के देव स्थानों को जोड़ने के लिए 1 सम्पर्क सड़क मतवाली माता राशामी, 2. सम्पर्क सड़क चावण्ड माता बोरदा 3. सम्पर्क सड़क सागरामाता, 4. सम्पर्क सड़क पुन: निर्माण मात्रीकुण्डिया तक सड़क बनाने की राशि आबंटन करावें।

2. मेरे विधान सभा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़क को सूचीबद्ध करावा कर स्वीकृत करावें।

3. मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव मुख्य सड़क से मात्र 1 किमी. या इससे भी कम दूरी पर स्थित है। ऐसे सभी गांवों को डामर सडक से जोड़ने की व्यवस्था करावें।

धन्यवाद।

अर्जुनलाल जीनगर

(गंगरार)

लोथल ग्राम में पी.एच.सी. नहीं खोले जाने से उत्पन्न सम्बन्धी स्थति

महोदय,

प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि ग्राम लोथल में करीबन 8 वर्ष पूर्व एक पीएससी भवन का निर्माण (भामाशाह) द्वारा कराया गया था लेकिन अभी तक सरकार द्वारा पीएससी खोलने के आदेश वहीं किये

गये ग्राम लोथल पंचायत मुख्यालय है तथा इस ग्राम के करीबन 10 किलो मीटर तक कोई चिकित्सा स्वास्थ्य का केन्द्र उपलब्ध नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा करें।

धन्यवाद।

दाताराम गुर्जर

(खेतड़ी)

निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को दिये जाने वाले आवास ऋण पर ब्याज में छूट के संबंध में

महोदयजी।

विधान संचालन की प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि करीब 7-8 वर्ष राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से निम्न आय वर्ग एवं माध्यम आय वर्ग के परिवारों को मकान निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता था उस समय बैंकों द्वारा भवन निर्माण ऋण की ब्याज दर काफी थे इस कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति सरकारी ऋण लेते थें बाद में बैकों ने तो भवन ऋण पर ब्याज दर आदि कर दी, परन्तु सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज दर 15 प्रतिशत वसूल की जाती थी। डिफालटर होने 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी वसूली जाता है। एक मात्र पाली शहर में करीब 278 परिवार वर्तमान में डिफाल्टर की श्रेणी में है। उन पर इतना ब्याज चढ़ गया है कि अब वे राशि ऋणीयों के लिए भरना बहुत मुश्किल है। इन ऋणियों को बार-बार दंडनीय ब्याज सहित ऋण वसूली के नोटिस दिये जा रहे हैं कईयों के विरुद्ध कुर्की वारंट भी जारी कर दिये गये हैं इनमें से कई ऋणियों की मृत्यु भी हो चुकी है एवं कई परिवार चयनित परिवार की सूची में भी है।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार बैंकों एवं दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने भवन ऋण पर ब्याज दर काफी कम कर दी है ऐसे में अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों से 15 प्रतिशत ब्याज एवं 2 प्रतिशत दंडनीय ब्याज लेना उचित नहीं है।

मान्यवर, चूंकि वर्तमान सरकार ने निर्धन एवं मध्यम वर्ग के परिवारों हेतु बजट में अनेकों राहत योजनाओं का प्रावधान किया है मेरा भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस आवास ऋण पर ब्जया एवं दंडनीय ब्याज की छूट देने का श्रम करें ताकि ये सारे ऋण एक मुश्त मूल राशि जमा करवा सकें।

धन्यवाद।

ज्ञानचन्द पारख

(पाली)

अनुसूचित जाति को कृषि कुओं में विद्युत कनेक्शन में वरीयता देने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि जिला सिरोही के रेवदर पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति के लोगों को कृषि विद्युत कनेक्शन जनरल श्रेणी के अनुसार दिये जाते हैं एवं आबूरोड पिण्डवाडा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को जनरल श्रेणी के अनुसार कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जाते हैं।

मैं श्रीमान् का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लोग खेती व मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आर्थिक स्थिति से जुझते लोग विद्युत कनेक्शन के अभाव में डीजल पम्प सैट के द्वारा अपनी खेती करते हैं। डीजल पम्प सैट की वजह से की गई खेती से उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है। व परिवार का भरण पोषण करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। मेरे क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति के लोग भील, मीणा, गरासिया, वगैरा की स्थिति काफी दयनीय है। एक तरफ सरकार एस/एसटी के लोगों के उत्थान के लिए हर तरह का प्रयास करती है। और एक तरफ इस प्रकार की नीति के कारण इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि रेवदर पंचायत समिति क्षेत्र के अनुसूचित जन जाति के लोगों को भी अनुसूचित जाति की तरह कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जावें।

पिण्डवाड़ा आबूरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की तरह कृषि कनेक्शन जारी किये जावें।

धन्यवाद।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

पिलानी नगरपालिका के सरकारी रिकार्ड में कांट-छांट से उत्पन्न स्थिति

मान्वयर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि नगरपालिका पिलानी में सरकारी रिकार्ड में काट छांटकर उसमें मूल मालिक को हटा दिया गया है। उसमें बहुत बड़े भूमाफिया बाबूलाल सोनी द्वारा राजेन्द्र के पन्ने ही साफ कर दिए गये हैं। जिला कलक्टर झुन्झनूं को मुख्य मंत्री हाउस से आदेश दिया गया, जिसकी जांच 150 पन्नों की करवाकर मुख्य मंत्री के कार्यालय में भिजवाई गयी है, परन्तु 1 माह के बाद भी उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई, प्रार्थी पुनः उसी महाजनों की जमीन व कस्टेडियम की भूमि पर कब्जा करके आज भी धडल्ले से बेचा रहा है। सरकार अपने कानों में तेल डालकर बैठी हुई है उसी तरह चिडावा नगर पालिका में भी अन्याय हो रहा है सरकार में नगरपालिका नोर्म्स में 30 फुट रास्ते को काटकर 40 प्रतिशत भूमि मनोरंजन व कालोनी के उपयोग के 90 बी में शपथ पत्र लगाकर 30 फुट के रास्ते को नहीं काटकर 20 फुट के काटे जाते हैं और धडल्ले से कोलोनिया काट रहे हैं। और बर्गर नगरपालिका की स्वीकृति के निर्माण हो रहे हैं, आज हमें देखने को मिला कि नगरपालिकाएं मंदिरों की जमीन को बगीची बताकर बेच रही हैं और सरकार के अधिकारी चुपचाप बैठकर देख रहे हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया हैं जिसके बारे में किसी को चिंता नहीं है, समय रहते अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो गरीब जनता के लिए जो कोलोनियां काटी जा रही हैं यह गले की हड्डी बन जायेगी और समाज व प्रदेश का विनाश हो जाएगा।

अतः मैं स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करना चाहूंता हूं कि इस प्रकरण में तत्काल जांच करवायें और की गई जांच की समीक्षा सी.आई.डी.सी.बी. से करवाकर इस राजस्थान की स्वायत्त शासन को स्वच्छ बनाने की कृपा करें तथा किये गये वाइदे को पूरा करें।

श्रवण कुमार
(पिलानी)

मेड़ता कृषि मंडी की सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में कृषि

विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण कराने का ध्यान आकर्षण किया गया है। मेडता क्षेत्र में सन 1995 के बाद कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें सभी क्षतिग्रस्त हो गई है उस पर आवागमन व यातायात दुर्गम हो गया है। अतः इन सड़कों का नवीनीकरण करवाया जावे जो सड़कें निम्नांकित हैं :- सम्पर्क सड़क आकेली से गेमलीयावास, गेमलीयावास से जसवन्ताबाद, 12 किलोमीटर, जारोडा से मेडता रोड 7 किलोमीटर, चून्दिया से भैसड़ाकला, 8 किलोमीटर, डुकीया से धनेरिया 3 किलोमीटर, जसनगर से सुरपुरा 3 किलोमीटर, ओलादन से देशवाल 4 किलोमीटर, डागावास से पांचडोलिया 5 किलोमीटर, पांचडोलिया से चावडीया 5 किलोमीटर, गगराना से बायडफाटा 3 किलोमीटर, कात्यासनी से भूरियासिनी 3 किलोमीटर, रोहिसा से रोहिसी 3 किलोमीटर, मेडता रोड से गागरिडी 5 किलोमीटर, लाम्बा से रियाश्यामदास, 5 किलोमीटर। इन सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाए जिससे मेडता विधान सभा क्षेत्र एवं मेडता कृषि मंडी में किसानों द्वारा अपनी फसलों को लाने व ले जाने व यातायात की सुविधा हो सके।

रामचन्द्र जारोड़ा

(मेड़ता)

जिला प्रमुख, उदयपुर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 24.4.2007 को जिला प्रमुख के पुत्र और पूर्व सरपंच को ग्राम ऋषभदेव में बिलानाम जमीन का अवैध रूप से आबंटन कर दिया गया जबकि उक्त भूखण्ड का आबंटन किसी और को किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, जिस जमीन को आबंटित नहीं किया जा सकता, नियमों कि विरुद्ध आबंटित कर दिया गया और आबंटित करने के उपरांत उसे आबादी भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है जो कि और भी अनुचित कृत्य है।

इस संबंध में निवेदन है कि इस प्रकरण की शिकायत करने के और जांच रिपोर्ट में आरोप पूरी तरह सही पाये जाने के उपरांत भी सरकार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त सारी कार्यवाही जिला प्रमुख, उदयपुर द्वारा करवाया जाना जिला प्रमुख के पद के दुरुपयोग का मामला है

और इस पर सरकार को अविलम्ब निर्णय लेकर समस्त संबंधित दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

इस प्रकरण की पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है किन्तु आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

अतः मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में बरती गई घोर अनियमितताओं में दोषी पाये गये व्यक्ति पर अविलम्ब कार्यवाही की जाए एवं साथ ही, नियमों के प्रतिकूल किये गये आदेशों को निरस्त किया जाए जिससे पीड़ितो को न्याय मिल सके।

रणधीर सिंह भीण्डर

(वल्लभनगर)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-36 सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने एवं चामू में नया सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में व्यवस्थापकों द्वारा गबन करने एवं सदस्यों से धोखा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

3. चित्तौड़गढ़, प्रताप दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को भीलवाड़ा डेयरी से पृथक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. चित्तौड़गढ़ जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

5. राज्य में समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पृथक से सचिव होने की आवशयकता पर चर्चा के लिये।
6. ग्रामीण सहकारी समितियों में कार्यरत सचिव को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. विभाग द्वारा प्रति वर्ष ग्रामीण सहकारी समितियों का नियमित रूप से आडिट करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं-अनाज, घासलेट अनिवार्य रूप से वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।
9. विभाग द्वारा ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण व्यवस्था का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

10. राज्य में सहकारिता विभाग के अधीन दुकानों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

11. विभाग द्वारा सहकारिता क्षेत्र को व्यापक क्षेत्र बनाने एवं महिला के सहकारी ग्रुप बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

12. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के चित्रावास में खाद, बीज व अन्य कार्यों के लिये जमीन आबंटन होने के पश्चात् अब गोदाम भवन निर्माण की अति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

13. प्रदेश में सकारी संस्थाओं की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

14. विभाग द्वारा सहकारिता मिशन को प्रभावी बनाने के लिये कार्यशालाओं का आयोजन करने पर चर्चा के लिये।

15. राज्य में बन्द पड़ी ग्राम सहकारी समितियों को पुर्नजीवित करने पर चर्चा के लिये।

16. सहकारिता के आधार पर स्वयं सहायता समूह बनाने व व्यवसाय करने वालों को विशेष अनुदान की योजना पर चर्चा के लिये।

17. सहकारिता के आधार पर स्थापित होने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को विशेष अनुदान एवं ब्याज दर में सरकारी छूट का प्रावधान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

18. जिला राजसमंद मुख्यालय पर केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

19. राज्य में सहकारिता आंदोलन के असफल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

20. राज्य में ग्राम सहकारी सेवा समिति में कार्यरत सहायक व्यवस्थापकों को स्थायी करने एवं सेंट्रल कॉपरेटिव बैंकों में किसानों को पर्याप्त ऋण वितरित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. राज्य में सहकारिता विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के संबंध में चर्चा के लिये।

22. राज्य में सहकारिता विभाग में आरक्षित पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

23. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड से फसली ऋण स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

26. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नये सदस्यों की साख सीमा बढ़ाकर ऋण उपलब्ध न कराने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. उदयपुर जिले में सहकारी समितियों व लेम्पसों में ऋण आवेदकों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. गोगुन्दा एवं कोटड़ा (उदयपुर) में फसल बीमा पर किसानों को राहत मुआवजा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

29. दी बूंदी अरबन को-आपरेटिव बैंक बूंदी में वसूली हेतु कुछ समय के लिये सहकारी निरीक्षक की सहकारी बैंकों पर प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

30. झिंझनीयाली, फतेहगढ़ (जैसलमेर) रामसर (बाड़मेर) में सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक की शाखा खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

31. विभाग द्वारा भूमि विकास बैंक के ऋण वसूली को तत्काल स्थगित करने एवं बांसवाड़ा जिले के गरीब आदिवासी व गैर आदिवासी किसानों को राहत नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

32. दी-पाली सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की ए.सी.आर. में छेड़छाड़ रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

35. राज्य में सहकारी समितियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

36. सहकारिता विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद किये गये तिलहन व खाद्यान्न की तुलाई व भुगतान में पाई जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

38. विभाग द्वारा सहकारी समितियों का समय पर आडिट नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथमा हेतु चर्चा के लिये।

40. राजस्थान अल्प संख्यक वित्त विकास सहकारी निगम का अध्यक्ष बनाने की घोषणा के बावजूद इसकी क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

41. सहकारिता विभाग द्वारा अजमेर में संचालित दवाइयों की दुकानों पर बी.पी.एल. परिवारों के लिये दवाइयों उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

42. सहकारिता विभाग के अजमेर स्थित उपभोक्ता भण्डार को बाजार की प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने हेतु वहां पर रखी गई कैबिनों को अन्यत्र स्थानान्तरण कर व्यवस्थित ढंग से स्थान उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई छोटी-छोटी महिला उद्योग सहकारी समितियों को समय-समय पर अपने उत्पादन व व्यापार में आने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिये विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर उनके उत्पादन को अच्छा बाजार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. अजमेर स्थित सहकारी उपभोक्ता भण्डार के संचालक मण्डल के चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

45. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव सेनावास, देवदा, चनुजी का गडा एवं देवाबाद रावणा में गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

46. राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

47. चूरू जिले में सहकारिता विभाग में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा सहकारी बैंकों के पुराने ऋणों पर 7 प्रतिशत ब्याज दर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. राज्य में रूग्ण पड़ी विभिन्न सहकारी समितियों को पुर्नजीवित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. चूरू जिले में प्रत्येक सहकारी समिति में व्यवस्थापक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का वेतनमान बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

52. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की सहकारी समितियों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. सहकारिता विभाग द्वारा दिये जाने वाले ऋण में की जाने वाली भेदभाव व अनियमितताओं पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. सहकारिता विभाग द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को अलग से सबसीडी दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

55. विभाग द्वारा स्पीनफैड की ईकाई गंगापुर को-ओपरेटिव स्पीनिंग मिल्स के सुचारू रूप से चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

56. सिरोही जिले में गत चार वर्षों में सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण देने में आई कमी व अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

57. आमेर विकास प्राधिकरण संस्था द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

58. सिरोही में ग्राम सेवा सहकारी समिति के नये सदस्यों को ऋण न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. सिरोही में ग्राम सेवा सहकारी समिति के नये सदस्यों की साख सीमा तय न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

61. राज्य में सहकारी समितियों में अनियमितता की जांच करने एवं सहकारी समितियों द्वारा समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

62. विभाग द्वारा पाला व शीतलहर प्रभावित क्षेत्रों में ऋण वसूली पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. बेगूं ग्राम सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों के दोषयुक्त पाये जाने पर भी पद से नहीं हटाये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

64. बेगूं की सहकारी समिति के गोदामों पर पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज दवाइयों उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

65. कोपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों को भरने एवं ग्राम सेव सहकारी समितियों एवं लेम्पस व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अलग बैंक की स्थापना बारां सेन्ट्रल कोपरेटिव किया जाकर पूरा शेयर नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. व्यवसायिक बैंकों के अनुरूप कोपरेटिव बैंकों के द्वारा भी क्रेडिट कार्ड दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विभाग द्वारा भूमि विकास बैंकों में किसानों से 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लिये जाने हेतु पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

70. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की विभिन्न वंचित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी बैंक की सुविधा प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा पंचायत मुख्यालयों पर खाद/बीज भण्डारण की समुचित व्यवस्था एवं मांग के अनुरूप उपलब्धता हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

72. विभाग द्वारा सीकर भूमि विकास बैंक में हुई अनियमितता एवं रिकार्ड गायब करने वाले जिम्मेदार शाखा सचिव पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

73. बैंकों द्वारा मूलधन से अधिक ब्याज वसूल करने की स्थिति में विभाग द्वारा उचित उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. विभाग द्वारा राज्य में सहकारी बैंकों के चुनाव नहीं कराकर प्रशासक रखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम (धोद)

75. सीकर जिले की सहकारी बैंकों की शाखाओं के कार्यालय में सुविधाजनक एवं उचित जगह नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) :

76. विभाग द्वारा मेड़ता सहकार भण्डार में लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने हेतु नई दुकानों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. विभाग द्वारा नागौर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक की सहकार सदस्यों को अधिक से अधिक नई शाखायें खोलकर सुविधा दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा सहकारी समिति के कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्राप्त मूल राशि से ज्यादा ब्याज नहीं लेने हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा नागौर जिले में सभी स्वयं सहायता समूहों को कार्य करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

81. सहकारी समितियों द्वारा बीमा की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

82. केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक की विभिन्न शाखाओं में स्टाफ की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

83. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अनेक गांवों में बैंक शाखायें नहीं होने से जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-42 उद्योग पर कटौती प्रस्तावों

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री केशर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

1. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ एवं लोसल कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

2. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में रिको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

3. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. कोटा व झालावाड़ जिलों में लघु उद्योगों द्वारा कोटा-स्टोन एवं पोलिश वेस्ट का निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।
5. प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत अस्थाई श्रमिकों के शोषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में उद्योगों द्वारा दूषित जल के निस्तारण से प्रदेश की नदियां प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

7. विधान सभा क्षेत्र मावली में रीको द्वारा इण्डस्ट्रीज एरिया स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र मावली में रीको द्वारा गुडली एवं सनवाड़ में एरिया खतम होने पर जमीन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

9. विधान सभा क्षेत्र पाली में पुनायता स्थित नये औद्योगिक क्षेत्र में आबंटियों की ब्याज राशि माफ करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

10. विधान सभा के नवलगढ़ में सीमेंट उद्योगों हेतु रीको द्वारा अधिग्रहण भूमि एवं उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगारार) :

11. प्रदेश के बड़े उद्योगों में स्थानीय मजदूरों के लिये आरक्षण व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा प्रदेश में गृह उद्योग को विकसति करने हेतु विशेष अनुदान योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा प्रदेश में आर्थिक मंदी के कारण बन्द एवं रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को विशेष अनुदान देकर पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को विकसित करने हेतु कम ब्याज दर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के सेनियाना क्षेत्र में प्रस्तावित टैक्सटाइल जोन को अतिशीघ्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):

16. विभाग द्वारा राजसमन्द जिले की लघु कट्‌टर इकाई की मार्जिन मनी नहीं देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

17. विभाग द्वारा प्रदेश के पिछड़े जिलों में उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक अनुदान की व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

18. विभाग द्वारा उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों में अनु. जाति/जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने एवं विधान सभा क्षेत्र दूदू में इन्डस्ट्रीयल ऐरिया विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा प्रदेश के रूग्ण उद्योगों को पुर्नर्जिवित कर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

21. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बहरोड़, शाहजहांपुर, नीमराणा एवं गूंती औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों में 50 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बहरोड़ तहसील में बीयर व शराब कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण जनता में व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

23. राज्य में बिजली की कटौती की वजह से उद्योगों के बन्द होने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. राजस्थान में रिफाइनरी नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

25. विधान सभा क्षेत्र आहोर में रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

26. भीलवाड़ा क्षेत्र में माइनिंग मैटेरियल के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सहाडा में गंगापुर- रायपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) :

28. राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित मेवाड़ टैक्सटाइल्स मील, भीलवाड़ा के श्रमिकों के बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

29. विभाग द्वारा राज्य में उद्योग को अपूर्ण सहयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा राज्य में उद्योगों के विकास हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

31. विभाग द्वारा राजस्थान में बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चालू करने एवं राजकीय उपक्रमों को लाभ में परिवर्तित करने की योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालिम सिंह रावलोत (शिव) :

32. शिव उपखण्ड मुख्यालय (जिला बाड़मेर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

33. विभाग द्वारा प्रदेश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु तहसील स्तर पर लघु उद्योगों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा राज्य में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में वाटर बेस इन्डस्ट्रीज नहीं लगाने एवं उपजाऊ, कृषि भूमि पर उद्योग नहीं स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

35. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में लघु उद्योगों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के युवा बेरोजगारों को सुगमता से ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

37. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तख्तगढ़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा राज्य में सेज में दी जा रही सुविधाओं के अनुरूप सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

40. राज्य की उद्योग नीति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

41. विभाग द्वारा जयपुर के जौहरियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्धन होने के कारण उनकी व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा जयपुर के जवाहरात उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कारीगरों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, व्यापारियों हेतु मार्केट व कच्चामाल (रफ) तथा निर्यातकों को प्रोत्साहन हेतु अन्य सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा प्रदेश में सिंगल विण्डो योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु भूमि अवाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विभाग द्वारा जिला सवाई माधोपुर के सीमेन्ट फैक्ट्री एवं जिला भरतपुर की सिमको वैगन फैक्ट्री एवं डालमिया डेयरी को पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

46. विभाग द्वारा अजमेर में सीमेन्ट उद्योग की अपार संभावनाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना हेतु सरकारी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विभाग द्वारा प्रदेश में बीड़ी उद्योग से जुड़े श्रमिकों के समुचित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा अजमेर में मुड्डा उद्योग से जुड़े लोगों को कच्चे माल पर सब्सिडी देने एवं निर्मित वस्तुओं का उचित मूल्य एवं बाजार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा अजमेर में हाथकर्घा उद्योग के प्रोत्साहन देने एवं बुनकरों द्वारा तैयार माल को बाजार उपलब्ध कराये जाने की उपलब्धता पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा अजमेर में उद्योगों की स्थापना हेतु श्रीनगर में स्पेशल इकानामिक जोन की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

51. राज्य में आर्गेनाइज रिटेल का खुदरा बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा प्रदेश में रिसर्च एण्ड डवलपमेंट यूनिट्स की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

53. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में रूग्ण एवं बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) के औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगार नवयुवकों को उद्योग स्थापना हेतु छोटे भूखण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में उद्योग प्रसार अधिकारी का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) के औद्योगिक क्षेत्र में रियाहशी भूखण्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

58. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में मेगा-हाइवे पर स्थित ग्राम पंचायत मांगवा और खोखर में खाली पड़ी जमीन पर रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र परबतसर में आबंटित भूखण्डों पर उद्योग प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र परबतसर व निदीयाद में नवीन सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र निदीयाद के लिये नवीन पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

62. विधान सभा क्षेत्र भादरा में रीको के माध्यम से औद्योगिक विकास पर चर्चा के लिये।
63. विभाग द्वारा जिला हनुमानगढ़ में परिस्थितियों की अनुकूलता को देखते हुए कृषि आधारित बड़ा उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये।
64. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का अधिक प्रचार-प्रसार कर, इससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

65. राज्य में औद्योगिक इकाइयों को भूखण्ड आबंटन के बाद, उत्पादन शुरू न करने के संबंध में चर्चा के लिये।
66. राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए आबंटित प्लाटों के खाली पड़े होने के संबंध में चर्चा के लिये।
67. राज्य में उद्योगों में श्रमिकों के शोषण पर चर्चा के लिये।
68. राज्य में 01 जनवरी, 2004 से दिसम्बर 2007 तक बन्द हुए उद्योगों के संबंध में चर्चा के लिये।
69. राज्य में वर्ष 2004 से जनवरी, 2008 तक नए उद्योग नहीं लगने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

70. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पारोली ग्राम में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर चर्चा के लिये।
71. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

72. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम मण्डा-भिण्डा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने एवं ग्राम कालाडेरा में रिक्त औद्योगिक केन्द्र के दूषित पानी से व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

73. विभाग द्वारा जिला अजमेर स्थित औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ में रीको द्वारा अलग से ग्रेनाइट जोन स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भागीरथ चौधरी)

74. विभाग द्वारा जिला अजमेर के औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ में रीको द्वारा अलग से हैंडीक्राफ्ट जोन स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विभाग द्वारा अजमेर जिले के औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ में स्थाई ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना पर चर्चा के लिये।

76. विभाग द्वारा अजमेर जिले के औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ में रीको का पृथक ईकाई कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

77. विभाग द्वारा बारां शहर में रीको एरिया का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

78. विभाग द्वारा जिला जयपुर के सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में मूर्तिकार व्यवसायियों को भूमि के पट्टे दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल स्थित विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के समुचित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा एसएसआई के लिये सीएसटी पर 25 प्रतिशत करने के पश्चात स्पष्टीकरण जारी कर उक्त छूट को कट आफ डेट के पश्चात छूट देने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. कृषि मंडी में 58/4 (कच्चे माल को उद्योगों के उपयोग हेतु) प्रस्तुत करने पर शुल्क में छूट दिये जाने का सरकार द्वारा समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

82. विभाग द्वारा जिला बीकानेर के ऊन से बने उत्पादों के निर्याताकर्ताओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्र खारा, करणी, मापासर व लूणकरणसर का विस्तार किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

84. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर, ग्रामीण के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मट मादड़ी कच्ची बस्ती में आवासीय पट्टे दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

85. अराफात ग्रुप कोटा द्वारा ग्रुप के कारखानों से मशीनें एवं अन्य सामान निकालकर ले जाने तथा समझौते के अनुसार कारखानें नहीं चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. विभाग द्वारा सेज के तहत महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कम्पनी को आवश्यकता से अधिक भूमि देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विभाग द्वारा उस्ता कला के विकास एवं संरक्षण हेतु आवश्यक पहल करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) :

88. विभाग द्वारा मेड़ता को नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में फूड-प्रोसेसिंग उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विभाग द्वारा मेड़ता के चाईनाकले का उत्पादन के अनुसार उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

91. विधान सभा क्षेत्र भीम में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भीम एवं देवगढ़ में रीको क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

92. विभाग द्वारा किशनगढ़ रेनवाल औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने एवं फुलेरा औद्योगिक क्षेत्र को सुविधा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

93. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में स्थित रीको के औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

94. विभाग द्वारा प्रदेश में कुटीर और परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

95. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में नये उद्योग खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

96. विभाग द्वारा धौलपुर स्थित उद्योगों में 50 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने तथा धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रेक द्वारा लोडिंग अन-लोडिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों को उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत कर बैंकों को भेजने के बाद भी बैंकों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को ऋण राशि उपलब्ध नहीं कराने एवं अनावश्यक देरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. विभाग द्वारा धौलपुर में बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारम्भ कराने के लिये विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विभाग द्वारा धौलपुर में उद्योगों के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि आबंटित कराकर उद्योग से अधिशेष भूमि का दूसरों को बेचने से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा धौलपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ-सेन्टर में ड्रेनेज कार्य नहीं किए जाने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-43 खनिज कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर में बढ़े हुये खानियों का किराया 40 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करवाने एवं बालेसर ए.एम.ई. कार्यालय के अधीन खनिज क्षेत्रों में सड़कें बनवाने, हैण्डपम्प खुदवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

2. खनिज विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप लीज नहीं करने एवं अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

3. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा के रानीखेड़ा से नारेला तक खनिज एप्रोच सड़क की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

4. राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा रेती (बजरी) व चिनगारी पर निर्धारित दर से अधिक रायल्टी सेल्स टैक्स वसूल करने पर चर्चा के लिये।
5. विभाग द्वारा प्रदेश में चरागाह भूमि पर हो रहे अवैध खनन से नष्ट हो रहे चरागाह को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. राज्य में अवैध खनन पर अवैध रूप से ठेकेदारों द्वारा रायल्टी व सेल्स टैक्स वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विभाग द्वारा कोटा शहर के समीप वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विभाग द्वारा चम्बल घड़ीयाल अभ्यारण में विभाग की मिलीभगत से नियमित रूप से रेती का अवैध खनन की रोकथाम हेतु आवश्यक पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

9. राज्य में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री दाताराम गुर्जर)

10. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में देवस्थान की पहाड़ी पर खनिज पट्टा आबंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

11. राज्य में सोप स्टोन, डोला माइट एवं लाइम स्टोन पर लेण्ड टैकस को कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

12. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में खनिज विभाग द्वारा बकाया राशि वसूली में अधिकारियों की लापरवाही एवं सीमेंट फैक्ट्रीयों के लिये जारी किये गये खनन पट्टों में हुयी अनियमितताओं से उत्पनन स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

13. राज्य में खनिज नीति का सरलीकरण करने पर चर्चा के लिये।
14. विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिये विशेष बीमा योजना का प्रावधान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
15. विभाग द्वारा अवैध रूप से होने वाले खनन को रोकने के लिये प्रभावी कानून बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

16. विभाग द्वारा राजसमंद क्षेत्र में वेस्टेज मारबल पर रायल्टी माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

17. विभाग द्वारा जिला अलवर में खनन कार्य शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

18. राज्य में खनिजों का पर्याप्त मात्रा में दोहन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

19. राज्य में खान आबंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।
20. विभाग द्वारा अवैध खनन को रोकने एवं स्वीकृत आबंटित खनन पट्टे से ज्यादा जगह पर खनन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

21. राज्य में अवैध खनन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. राज्य में मार्बल ब्लॉक के आयात में घोटाले के संबंध में चर्चा के लिये।

23. राज्य में विभिन्न जिलों में मिले मिनरलों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

24. अलवर जिले में गन वायरमेंट की एन.ओ.सी. नहीं मिलने की वजह से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

25. विभाग द्वारा लम्बित पड़े खनिज आबंटन आवेदनों की स्वीकृति न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. विभाग द्वारा सहकारी निर्माण कार्यों पर एस.टी.पी. जारी करने के बाद नदियों के ठेकेदारों द्वारा अलग से रायल्टी वसूल करने एवं विभाग द्वारा उस रायल्टी का समायोजन नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

27. विभाग द्वारा राज्य में अवैध खनन को नहीं रोकने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

28. विभाग द्वारा स्वीकृत खानों पर लगाया भूमि पर वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

29. बांसवाड़ा जिले के खनिज भण्डार के दोहन करने के लिये युवा बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में खनिज आधरित अनेक औद्योगिक इकाई को स्थापित करने एवं स्थानीय लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विभाग द्वारा खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिये स्थानीय लोगों को साथ लेकर जिला स्तर पर केम्प आयोजित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

32. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बापी की खानों में अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा स्वीकृत खानों पर लगाया गया भूमि पर वापिस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बोयल मोड़ से बोयल के निकट खान तक की क्षतिग्रस्त सड़क पर री-कार्पेटिंग करवाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

35. विभाग द्वारा खानों में काम करने वाले श्रमिकों को आवश्यक सुविधा मुहैया करवाये जाने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

36. विभाग द्वारा भरतपुर जिले में चेजा पत्थर की खानों के लाईसेंस जारी करने पर अघोषित रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. टोंक खनिज विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में लटिया नाला के पेटे जमा अमानती राशि का प्रार्थी (सिराजरसूलजैदी) को पुर्नभुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

38. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित बापी खानों के संबंध में कोई ठोस कार्य योजना खासकर नागौर की दृष्टि से बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर के गांव-खोहरी, जलालपुर, नांगल, तेस्की आदि के पहाड़ों को खनिज विभाग के नाम (नामांतकरण) राजस्व रिकार्ड में चढ़वाने हेतु पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

41. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड़ द्वारा अजमेर में जिंक उत्खनन कार्य में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

42. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव-जगपुरा, दलेबाग, मकानपुरा, मुखियाबाग की वन भूमि में खदान का कार्य बंद करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत नीनामा)

43. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव-जगपुरा में आदिवासियों के खेतों पर खदान कार्य की योजना बंद करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

44. विभाग द्वारा चूरू में खनिज अभियन्ता का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

45. विभाग द्वारा राज्य में चल रहे अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

46. खनिज विभाग के खिलाफ उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की पैरवी में विभागीय लापरवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

47. खनिज विभाग में जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों को आरोप पत्र जारी न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

49. विभाग द्वारा बिजौलिया क्षेत्र में फर्जी नामों से आबंटित खानों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. भीलवाड़ा नगर परिषद परिधीय क्षेत्र में ग्राम दरीबा, समोढी, पांसल डाग में खनन पट्टों के नवीनीकरण बाबत लगी रोक हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. बाड़मेर में तेल रिफाइनरी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

52. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में खनिज क्षेत्र चैनपुरिया से खजूरी तक सड़क के उन्नयन कार्य पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के खनिज क्षेत्र हामपुरा को टीकड़ तक सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के खनिज क्षेत्र घेवरिया को कटारियों का खेड़ा से जोड़ने के लिये बनास नदी पर रपट निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

55. विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को भी रायल्टी का अंश देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

56. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में खनिज विभाग द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में चल रहे अवैध खनन रोकने पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में खानों पर कार्यरत मजदूरों के इलाज के लिये खनिज क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

59. विभाग द्वारा जिला बीकानेर में जिप्सम बजरी व क्ले के अवैध खनन पर रोक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

60. विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति प्रार्थियों को खान आबंटन में प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

61. विभाग द्वारा राज्य में खनिज समपदा का पर्याप्त दोहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) :

62. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में खनिज अभियन्ता का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में खनिज क्षेत्रों में सड़कें बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता लिग्नाइट कोयले के सर्वे व उसकी खुदाई से किसानों को होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

65. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के खनिज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

66. विभाग द्वारा बदनोर जिला भीलवाड़ा के पत्थरों को प्रोत्साहित हेतु

(श्री हरिसिंह रावत)

क्वारी लीज की जगह माइनिंग लीज में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

67. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जारी किये गये खनन पट्टों की लीज से होने वाली समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

68. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में वन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एन.ओ.सी. दिये जाने के बावजूद भी खनन कार्य की अनुमति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. जिला टोंक स्थित खनिज विभाग के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

70. राज्य में खनिज क्षेत्रों के आबंटन की प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

71. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में खनन पट्टेधारियों को खनन कार्य नहीं करने देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

72. विभाग द्वारा धौलपुर जिले में अपनी भूमि का डिमारकेशन नहीं कराने तथा अवैध खनन कार्य की रोकथाम नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. जिला धौलपुर में विभाग द्वारा खनिज उद्योगों का समुचित विकास नहीं किये जाने एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

74. जिला धौलपुर के वन रहित क्षेत्रों में खनन कार्यों को वन विभाग द्वारा अनावश्यक रोक लगाये जाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

75. जिला धौलपुर में विधिवत आबंटित खानधारियों को समुचित सुरक्षा

(श्री बनवारी लाल)

हेतु हथियार मुहैया नहीं करवाये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

76. जिला धौलपुर में नदियों से बजरी-रेता के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।